"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2016—आश्विन 29, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक एफ 9-21/2011/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री व्ही. रामाराव, (भा.व.से.-1988), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को उनकी सेवाएं, वन विभाग से लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री व्ही. रामाराव, भा.व.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के पद का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अविनाश चंपावत (भा.प्र.से.-2003), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ-9-21/2016/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री के. सी. यादव (भा.व.से.-1984), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, मुख्यालय, रायपुर को उनकी सेवाएं, वन विभाग से लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), निमोरा, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-20/2014/स्था/चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2014 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से कंडिका 2.1 से 2.13 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लेखा सेवा लेखाधिकारी का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	सुश्री दिव्या वैष्णव, पिता-श्री कृष्णदास वैष्णव, पता-मातृछाया, मकान नं. 125, सेक्टर-01, सड़क नं.-02, प्रोफेसर कालोनी, रायपुर (छ.ग.)	अनारक्षित (महिला वर्ग)
2.	2	सुश्री अंकिता सिंह, पिता-श्री ए. के. सिंह, पता-एस. डी.ओ. पी.एच.ई. डी. सब डिवीजन-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.)	अनारक्षित (महिला वर्ग)
3.	3	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, पिता-श्री राम कीर्तन पाण्डेय, पता-रामसागर पारा, कुटी के पास, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अनारक्षित
4.	4	श्री मयंक कुमार गुप्ता, पिता-श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, पता-मेन रोड, राम मंदिर के पास, डब्ल्यू-16, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	अनारक्षित
5.	5	श्री निशान्त कुमार पाण्डेय, पिता-श्री राम रतन पाण्डेय, पता-पाण्डेय निवास, वार्ड क्र. 16, पाठक चाल, चंदनिया पारा, लिंक रोड, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अनारक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	6	श्री ताम्रध्वज साहू, पिता-श्री पारस राम साहू, पता-ग्राम व पो. धौराभाठा, व्हाया-पाण्डुका, थाना-मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.).	अनारक्षित
7.	7	सुश्री हिमशिखा साहू, पिता-श्री मुकुन्द साहू, पता-31/1086, कालडा नर्सिंग होम के पीछे, कटोरा तालाब, रायपुर.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला वर्ग)
8.	8	श्री शशि कुमार चौधरी, पिता-श्री खेत सिंह चौधरी, पता-सी-13, यदुनंदन नगर, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)	विकलांग श्रेणी
9.	9	सुश्री वंदना बिसेन, पिता-श्री दुलीचंद बिसेन, पता-एमआईजी-12, सहयोग पार्क, महावीर नगर, न्यू पुरैना, रायपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति (महिला वर्ग)
10.	11	कु. डिम्पल नाग, पिता-श्री घासी राम नाग, पता-ग्राम भैंसाबेड़ा पारा, बड़ेडोंगर, पो.आ. बड़ेडोंगर, थाना-बड़ेडोंगर, तह. फरसगांव, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति (महिला)
11.	12	श्री हेमेन्द्र भुआर्य, पिता-डॉ. रूपेन्द्र कुमार भूआर्य, पता-C/o श्री एन. पी. भूआर्य, ग्राम-घीना, पोस्ट हड़गहन, तह.-डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति

2. 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है.

2.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(ब) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

(स) विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विकलांगता प्रमाण-पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाकर प्रस्तुत किया जाए.

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परीवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी.

2.4 सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

2.5 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 से शासित होंगे.

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण-पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर अधिकारी के समक्ष (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

2.8 जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा.

2.9 चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा.

2.10 चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

2.11 यह नियुक्ति पूर्णत: अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी. इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा.

2.12 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

2.13 उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक-एफ 15-6/2014/15-1.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष-2014 तथा साक्षात्कार के परिणामस्वरूप दिनांक 13-05-2016 के परिणाम के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 2 वर्ष की परिवीक्षा पर सहकारिता विभाग अंतर्गत वेतनमान

रु. 15600/- रु. 39100/- ग्रेड पे रु. 5400/- में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सम्मुख दर्शाये कॉलम-5 में उल्लेखित जिले में पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम तथा गृह जिला	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	श्री अनिल कुमार खत्री, पिता स्व. श्री लेखराज खत्री, सुनील स्टेशनरी शॉप मेन रोड लाखे नगर, रायपुर गृह जिला-रायपुर.	कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मुख्यालय रायपुर.
2.	2	श्री आकाश दीप पात्रे, पिता स्व. श्री झुलाराम पात्रे, ग्राम-सूरीघाट (लोरमी रोड) मुंगेली.	कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दंतेवाड़ा.
3.	4	श्री राजेन्द्र प्रसाद राठिया, पिता श्री अनुज राम राठिया, सी/ओ जी. एस. ठाकुर, शिव मंदिर के पास, गली नं. 2, म. नं. 26/92, राजा तालाब, रायपुर.	कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुंद.

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये वचन-पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से प्रदान की जा रही है. पुलिस सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में दें तथा प्रशिक्षण प्राप्त करें.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान में विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को अपनी परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा. जो व्यक्ति उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त की जा सकेगी. परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो.

6. इन अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत शासित होगी.

7. उपर्युक्त पदाभिलाषियों की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

8. उपर्युक्त पदाभिलाषियों द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

9. परिवीक्षाधीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पार न करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. बाण्ड का प्रारूप संलग्न है.

"प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-15/2015/धर्मस्व/छ:.—राज्य शासन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करके सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा आर्थिक सहायता नियम 2016 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन नियम

3. **नियम 3 सहायता राशि —** "सहायता राशि वयस्कों (18 वर्ष से अधिक आयु) को प्रति व्यस्क तीर्थयात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/- रुपये जो भी कम हो, तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रत्येक बच्चे का वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत या 5,000/- रुपये जो भी कम हो दिया जायेगा" के स्थान पर "सहायता राशि प्रति तीर्थयात्री यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/- रुपये जो भी कम हो" प्रतिस्थापित करता है. उक्त नियम तत्काल प्रभावशील होगा.

No. F 1-15/2015/Endowment/VI.—Exercising the executive power conferred by the Constitution of India, the State Government, hereby, makes the following Amendment in the Sindhu Pilgrimage, Financial Assistance Rules, 2016.

AMENDMENT ON RULE 3

Rule number 3 'Amount of Assistantce'— The previous rule of providing Assistance amount of 50% of the actual expenditure incurred on every adult pilgrimage or a maximum of Rs. 15000/- whichever is less in case of adults (18 years and above), and Assistance amount of 50% of actual expenditure incurred on every child or Rs. 5000/- which ever is less in case of children (more than 5 years) has been amended.

The new rule states the Assistance amount of 50% of the actual expenditure incurred on every pilgrimage or a maximum of Rs 15000/- whichever is less, shall be payable. The Amendment shall come into force with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष के. मिश्र, सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 5—36/2015/18.—पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 38 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये और स्थानीय प्राधिकारी एवं नगर विक्रय समिति के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिये निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

योजना

अध्याय—एक
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार.—**

(1) यह योजना छत्तीसगढ़ पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) योजना, 2016 कहलायेगी ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

2. **परिभाषाएं.—** शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जैसा कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) तथा छत्तीसगढ़ पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 में उनके लिये समनुदेशित है.

अध्याय—दो
पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण

3. **सर्वेक्षण.—**

(1) सर्वेक्षण की रीति निम्नानुसार होगी,—

(क) विक्रेता के सर्वेक्षण हेतु एक दल गठित किया जायेगा;

(ख) गठित दल नगर विक्रय समिति के निरीक्षण एवं निर्देशन में सर्वेक्षण कार्य संपन्न करेंगे;

(ग) सर्वेक्षण दल के गठन में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(एक) राजस्व निरीक्षक,
(दो) सहायक राजस्व निरीक्षक,
(तीन) सहायक परियोजना अधिकारी (एनयूएलएम),
(चार) मिशन मैनेजर (एनयूएलएम),
(पांच) सामुदायिक संगठन, तथा
(छः) स्थानीय नगरीय निकाय से वार्ड प्रभारी।

(घ) गठित दल निर्धारित प्रपत्र में वार्डवार सर्वेक्षण के कार्य को संपन्न करेंगे। (परिशिष्ट एक);

(ड.) निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी एकत्र करते समय जानकारी के सत्यापन हेतु मतदाता परिचय–पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस की छायाप्रति आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे;

(च) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त जानकारी का डाटाबेस तत्काल नगर विक्रय समिति द्वारा तैयार किया जायेगा;

(छ) सर्वेक्षण दल सर्वेक्षण के दौरान ही विक्रय प्रक्षेत्र एवं स्थानीय प्राकृतिक बाजार का अवलोकन करेगा;

(ज) स्थानीय नगरीय निकाय तथा नगर विक्रय समिति सर्वेक्षण के लिए किसी सर्वेक्षण एजेंसी की सेवा (आरपीएफ के माध्यम से) ले सकते हैं ;

(झ) विक्रेताओं के सर्वेक्षण हेतु शहर स्तरीय संघ (सीएलएफ) को भी उत्तरदायित्व दिया जा सकता है।

(2) **सर्वेक्षण एजेंसी से सेवा लेने के संबंधी मामले,–**

(क) सर्वेक्षण एजेंसी नगर विक्रय समिति के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सर्वेक्षण कार्य संपन्न करेगी;

(ख) सर्वेक्षण एजेंसी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एकत्रित करेंगे एवं जानकारी के सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज (मतदाता परिचय–पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस) भी संकलित करेंगे;

(ग) सर्वेक्षण एजेंसी नगर विक्रय समिति तथा स्थानीय नगरीय निकाय से अनुबंध के अनुसार समय सीमा में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करेंगे;

(घ) सर्वे प्रपत्र में एकत्र की गई जानकारी का डाटाबेस सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा तत्काल तैयार किया जायेगा;

(ड.) सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा विक्रेताओं का सर्वेक्षण वार्डवार संपन्न किया जायेगा;

(च) सर्वेक्षण एजेंसी, सर्वेक्षण के दौरान पथ विक्रेताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार के भय अथवा लालच हेतु प्रोत्साहित नहीं करेगा ।

अध्याय–तीन
विक्रय प्रमाणपत्र एवं पहचान पत्र

4. **सर्वेक्षित विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण–पत्र वितरण करने की समय–सीमा.–** सर्वेक्षण पूर्ण होने की तिथि से तीन माह के भीतर समस्त पंजीकृत विक्रेताओं को नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत द्वारा विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा ।

5. **विक्रय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्तें.–** विक्रय प्रमाणपत्र के लिये निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार होगा,–

(क) विक्रय प्रमाण पत्र का तात्पर्य भूमि का स्वामित्व नहीं है अपितु कतिपय शर्तों के आधार पर भूमि का उपयोग करना है;

(ख) विक्रेता या उसके परिवार के आश्रित सदस्य जो विक्रय कार्य करते हैं, उनकी उम्र 14 वर्ष से कम न हो;

(ग) विक्रेता किसी अवैध या अनैतिक व्यवसाय में संलग्न न हो;

(घ) विक्रेताओं द्वारा राज्य शासन एवं स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निषेध कोई व्यवसाय नहीं किया जाना चाहिये;

(ङ.) विक्रय प्रमाण–पत्र को हस्तांतरित अथवा विक्रय नहीं किया जा सकेगा;

(च) विक्रय प्रमाण–पत्र में विक्रेता का वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फोटो चस्पा किया जाना चाहिए; तथा यदि विक्रेता की पत्नी या वयस्क बच्चों के द्वारा विक्रय का कार्य किया जाता है तो उक्त सदस्यों की फोटो भी विक्रय प्रमाण–पत्र में चस्पा किया जाना चाहिये;

(छ) सर्वे के दौरान छूट गये नये विक्रेताओं द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के अभिहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किये जाने पर विक्रेता को विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा;

(ज) विक्रय प्रमाण–पत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि लेकर पुनः प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा;

(झ) नये विक्रेता तथा नवीन विक्रय प्रक्षेत्र का चिन्हांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा यह कार्य निरंतर किया जायेगा।

6. **विक्रय प्रमाण–पत्र के मापदण्ड, अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें और प्रपत्र.–** परिशिष्ट दो में विनिर्दिष्ट विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिये मापदण्ड एवं निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा विक्रय प्रमाण पत्र का प्रपत्र इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

7. **विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी करने की रीति एवं प्रपत्र.–** विक्रेताओं को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन परिशिष्ट दो में यथा विनिर्दिष्ट पहचान पत्र जारी किया जायेगा,–

(क) पहचान पत्र स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा;

(ख) पहचान पत्र को फोटो युक्त होना अनिवार्य है;

(ग) **पहचान पत्र में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित जानकारी जैसे–** जारी करने का दिनांक, वैधता दिनांक, पंजीयन क्रमांक, जोन क्रमांक, विक्रय स्थान, विक्रय अवधि, विक्रय की श्रेणी, व्यवसाय का प्रकार, पूर्ण पता, जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा तथा पृष्ठ भाग में पहचान पत्र उपयोग करने का दिशा निर्देश इत्यादि अंकित होंगे;

(घ) विक्रेता को जारी किये गये पहचान पत्र में बारह अंकों का नामांकन क्रमांक दिया जायेगा जिसके प्रथम दो अंक जिले का कोड होगा, अगले दो अंक स्थानीय नगरीय निकाय के कोड होंगे, इसके अगले दो अंक विक्रेता के वार्ड क्रमांक होंगे अगले दो अंक विक्रेता द्वारा विक्रय किये जा रहें सामाग्री/माल के लिए होगा, तथा अगले चार अंक विक्रेता का सरल क्रमांक होगा, जो कि प्रत्येक स्थानीय नगरीय निकाय का अपने स्तर पर विक्रेताओं की संख्या के आधार पर जारी किया जायेगा ।

8. **विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने के मापदण्ड.–**

(1) स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विक्रेताओं को निम्नांकित मापदण्डों के आधार पर विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा,–

(क) विक्रेताओं द्वारा नगर विक्रय समिति के समक्ष रू. 50 के मूल्य के स्टाम्प पेपर पर वचन पत्र प्रस्तुत कर निम्नलिखित आशय की पुष्टि करनी होगी कि–

(एक) विक्रेता द्वारा विक्रय प्रमाण–पत्र केवल स्वयं या परिवार के आश्रित सदस्यों के उपयोग में लाया जायेगा;

(दो) विक्रय प्रमाण–पत्र को हस्तांतरित अथवा विक्रय नहीं किया जायेगा;

(तीन) विक्रेता के पास स्थानीय नगरीय निकाय सीमा अंतर्गत कोई अन्य दुकान या स्थान विक्रय हेतु उपलब्ध या आबंटित नहीं है;

(चार) विक्रेता के परिवार के किसी अन्य आश्रित सदस्य (पत्नी/पुत्र) को विक्रय प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है;

(पांच) विक्रेता द्वारा विक्रय प्रमाण–पत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के अनैतिक तथा अवैध व्यवसाय हेतु नहीं किया जायेगा;

(छः) विक्रेता द्वारा विक्रय प्रमाण–पत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामग्री के विक्रय हेतु नहीं किया जायेगा;

(सात) विक्रेता द्वारा विक्रय प्रमाण–पत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के मादक/नशीले पदार्थो के विक्रय हेतु नहीं किया जायेगा;

(आठ) विक्रेता द्वारा विक्रय प्रक्षेत्र पर स्वच्छता नियमों का पालन किया जायेगा;

(नौ) विक्रेता द्वारा किसी भी प्रकार के पॉलीथीन/प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग नहीं किया जायेगा ।

(2) राज्य शासन समय–समय पर अग्रतर निर्देश जारी कर सकेगा जिसे विक्रेता द्वारा परिपालन किया जाना आवश्यक होगा।

अध्याय चार
शुल्क प्रभार एवं शास्ति (अर्थदण्ड)

9. विक्रेताओं से संग्रहित किये जाने वाले विक्रय शुल्क के निर्धारण के लिये आधार.–

स. क्र.	निगम/नगरीय निकाय	शुल्क स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जायेगा	बाज़ार की स्थिति	विक्रेता की श्रेणी
1. 2. 3.	नगर पालिक निगम नगर पालिका परिषद् नगर पंचायत		दैनिक बाजार, सप्ताहिक बाज़ार, मुख्य बाजार, उच्च विक्रय क्षेत्र	घुमंतु, स्थायी, मौसमी, निरंतर

10. **विकय शुल्क संग्रहित करने की रीति.–**

(1) प्रत्येक नगर विक्रय समिति के पास एक बैंक खाता होगा ।

(2) प्रत्येक पथ विक्रेता विहित प्ररुप में ऐसी राशि जमा करेगा जो नागरिक सेवाओं तथा पार्किंग स्थानों का उपयोग चलित ठेलों द्वारा किए जाने की स्थिति में विक्रय शुल्क, प्रभार तथा दण्ड के माध्यम से प्राप्त राशि होगी । ऐसी जमा राशि का विवरण विहित प्ररुप में अभिलिखित किया जाना होगा ।

(3) खाता का वार्षिक अंकेक्षण नगर विक्रय समिति द्वारा किया जायेगा ।

(4) संबंधित स्थानीय प्राधिकारी शुल्क प्रभार एवं दण्ड के संग्रहण के लिये अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र है ।

अध्याय पांच
विक्रय प्रमाण पत्र की वैधता, नवीनीकरण, निरस्तीकरण एवं निलंबन

11. विक्रय प्रमाण–पत्र की वैधता.–

(1) जारी करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिये विक्रय प्रमाण–पत्र वैध रहेगा ।

(2) 5 वर्ष के पश्चात् निर्धारित विक्रय शुल्क जमा करने पर विक्रय प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराया जा सकता है।

(3) विक्रेता के किसी अन्य शहर/विक्रय प्रक्षेत्र पर चले जाने अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में विक्रय प्रमाण–पत्र को स्थानीय नगरीय निकाय को सौंपा जाना चाहिये ।

12. विक्रय प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण की रीति एवं समयावधि.–

(1) पांच वर्ष की समाप्ति पर् नगर विक्रय समिति के अनुमोदन उपरांत विक्रय प्रमाण–पत्र की अवधि को आगामी पांच वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(2) विक्रय प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिये प्रभारित की जाने वाली शुल्क, विक्रेता द्वारा विक्रय किये जा रहे सामग्री तथा स्थान की व्यवसायिक स्थिति के आधार पर निर्धारित करना होगा ।

13. विक्रय प्रमाण–पत्र निरस्त या निलंबित करने की रीति.–

(1) विक्रय प्रमाण पत्र निम्नलिखित कारणों से निरस्त या निलंबित किया जा सकता है–

(क) यदि विक्रय निर्धारित विक्रय प्रक्षेत्र में नहीं किया जाता है;

(ख) यदि विक्रेता उसको आवंटित विक्रय प्रक्षेत्र से परे क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा करता है अथवा आवंटित विक्रय प्रक्षेत्र से परे अपना सामान फैलाता है या अवैध स्थायी या अस्थायी संरचना निर्मित करता है;

(ग) यदि विक्रेता उसको आवंटित विक्रय प्रक्षेत्र पर चेतावनी के बावजूद कचरा या गंदगी फैलाता है;

(घ) यदि विक्रेता स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विहित नियमों की अवहेलना करता है;

(ड.) यदि विक्रेता यातायात नियमों की अनदेखी या यातायात को बाधा पहुंचाने का प्रयास करता है;

(च) यदि विक्रेता विहित समय सीमा के भीतर स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित विक्रय शुल्क भुगतान करने में विफल रहता है;

(छ) यदि विक्रेता स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर परिचय–पत्र तथा विक्रय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

(ज) पथ विक्रेता द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करते पाये जाने की स्थिति में;

(झ) पथ विक्रेता द्वारा स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में;

(ञ) यदि बाल श्रम [प्रतिषेध एवं उपविधि (विनियम)] अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये पथ विक्रेता द्वारा 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को काम रखा गया हो;

(ट) यदि विक्रेता अन्य विक्रेताओं से दुर्व्यवहार/छेड़खानी करता हो;

(ठ) यदि विक्रेता अपने व्यवसाय के संचालन में किसी भी प्रकार का अवैध/अनैतिक व्यवसाय करते पाया जाता है;

(ड) यदि विक्रेता मादक या नशीला या विस्फोटक सामग्री का विक्रय करता है।

अध्याय छः
विक्रेताओं का वर्गीकरण

14. विक्रेताओं का वर्गीकरण.–

(1) विक्रेता को मुख्यतः तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः
- (क) स्थायी;
- (ख) मौसमी; तथा
- (ग) घुमंतू विक्रेता ।

(2) विक्रेताओं को स्थान के आधार पर जहां से वे कारोबार संचालित करते हैं, से भी वर्गीकृत किया जा सकता है उदाहरण के लिये –
- (क) प्राकृतिक बाजार
- (ख) साप्ताहिक बाज़ार
- (ग) परंपरागत बाजार

15. विशेष वर्ग.–

(1) विक्रेताओं के निम्नलिखित वर्गो को विक्रय प्रमाण पत्र प्रदान करते समय प्राथमिकता दी जानी चाहिये–
- (क) शारीरिक रूप से निःशक्त,
- (ख) वरिष्ठ नागरिक,
- (ग) परित्यक्ता और विधवा
- (घ) तृतीय लिंग समुदाय
- (ड.) महिला

(2) उपरोक्त श्रेणी के विक्रेताओं को नगर विक्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रमाण–पत्र के वितरण में प्राथमिकता दी जायेगी।

अध्याय सात
विक्रेताओं का स्थान परिवर्तन

16. विक्रेताओं का स्थान परिवर्तन.–

(1) निम्नलिखित कारण से लोकहित में विक्रेताओं का स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा–
- (क) यदि यातायात का सुविधाजनक एवं सुचारु रूप से संचालन न होता हो;
- (ख) यदि विक्रय प्रक्षेत्र में भीडभाड़ ज्यादा होती है;
- (ग) यदि विक्रय प्रक्षेत्र सकरे मार्ग में हो;
- (घ) सड़क चौडीकरण किये जाने की स्थिति में;

(ङ.) मास्टर प्लान का उल्लंघन होने की स्थिति में;

(च) सुरक्षा की दृष्टि से अतिविशिष्ट या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास स्थान के आस पास;

(छ) सड़क के किनारे जहां विक्रय प्रक्षेत्र है यदि उन स्थानों पर टेलीफोन लाईन, विद्युत लाईन, जल प्रदाय हेतु नाली निर्माण, सौंदर्यीकरण प्रस्तावित हो और यदि शासकीय भूमि के अन्य उपयोग हेतु खाली कराया जाता है ।

अध्याय आठ
विक्रेताओं की बेदखली

17. विक्रेताओं को बेदखल किये जाने की रीति –

(1) विक्रेताओं को निम्नांकित स्थिति उत्पन्न होने की अवस्था में स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा नगर विक्रय समिति के पूर्व अनुमोदन से एक माह की सूचना देकर बेदखल किया जा सकेगा–

(क) यदि विक्रेता द्वारा शहर के किसी भाग की भूमि पर कब्जा करता है जिसमें उसका आवंटित विक्रय प्रक्षेत्र अवस्थित नहीं है;

(ख) यदि कोई विकास कार्य शासन या स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित किया जाता है;

(ग) यदि विक्रेताओं द्वारा यातायात प्रणाली को बाधित किया जाता है;

(घ) यदि विक्रेता कचरा या गंदगी फैलाता हो;

(ङ.) यदि विक्रेता कचरा फेकते हुये और क्षति पहुंचाते हुये पाईप लाईन या विद्युत लाईन को बाधित करता है;

(च) यदि विक्रेता अपने व्यवसाय का संचालन में अवैध या अनैतिक क्रियाकलाप में लिप्त रहता है;

(छ) यदि विक्रेता किसी विचारण न्यायालय में किसी अपराध का दोषसिद्ध पाया जाता है;

(ज) यदि विक्रेता किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है;

(झ) पथ विक्रेता हेतु पृथक निर्मित या उपलब्ध विक्रय प्रक्षेत्र होने की स्थिति मे;

(ञ) विक्रेता द्वारा बिना किसी वैध विक्रय प्रमाण–पत्र के विक्रय कार्य करते पाये जाने की स्थिति में;

(ट) विक्रेता द्वारा विक्रय प्रमाण–पत्र या परिचय पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में;

(ठ) स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विक्रेता को दुकान/गुमटी आवंटित किए जाने की स्थिति में;

(ड) 80 प्रतिशत या उससे अधिक विक्रेताओं द्वारा किसी एक विक्रेता की शिकायत किये जाने की स्थिति में।

18. विक्रेताओं को बेदखल करने के लिए नोटिस दिये जाने की रीति.–

(1) विक्रेताओं को बेदखल करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाया जायेगा–

(क) विक्रेताओं को स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा 30 दिवस की नोटिस जारी करनी होगी;

(ख) बेदखली की सूचना तथा सूचना जिसमें ऐसे बेदखली से प्रभावित होने वाले सभी पथ विक्रेताओं के नाम सम्मिलित होंगे, स्थानीय नगरीय निकाय के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा;

(ग) बेदखली के 48 घंटे पूर्व, मुनादी द्वारा अंतिम सूचना पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रक्षेत्र में जाकर दी जायेगी।

19. सूचना अवधि के भीतर रिक्त करने में विफल रहने की स्थिति में बेदखल करने की रीति.–

(1) अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत नोटिस देने की अवधि पूर्ण होने पर, विक्रेताओं को बलपूर्वक बेदखल किया जा सकेगा ।

(2) बेदखल करने के दौरान, स्थानीय निकाय स्थानीय पुलिस की सहायता करेगा ।

(3) महिला विक्रेताओं की बेदखली के लिये, महिला पुलिस कर्मी की सहायता ली जायेगी।

(4) बेदखली के साथ विक्रेताओं पर अधिरोपित शास्ति (अर्थदण्ड), उसके द्वारा विक्रय हेतु रखे गये सामानों के मूल्य से अधिक नहीं होगी।

(5) विक्रेताओं या उनके साथियों द्वारा प्राधिकारियों का बलपूर्वक प्रतिरोध करने पर उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ किया जायेगा

अध्याय नौ
वस्तुओं (सामानों) की जब्ती

20. स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा सामानों को जब्त किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्तें.–

(1) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विक्रेताओं के सामानों को जब्त किये जाने तथा जब्त सामानों की सूची तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

(क) सामानों की क्षति रोकने के लिये सभी संभव प्रयास करना होगा;

(ख) खाद्य सामग्री को प्रदूषित होने से बचाने के लिये सभी संभव प्रयास करना होगा, यदि ऐसा कोई सामग्री जब्त किया जाता है;

(ग) टूटने वाली प्लास्टिक के सामानों की क्षति रोकने के लिये सभी संभव प्रयास करना होगा;

(घ) विनश्वर सामाग्री (फल/फूल/सब्जियों/मांस इत्यादि) के खराब होने की स्थिति में स्थानीय नगरीय निकाय जवाबदेह नहीं होगा;

(ड.) स्थानीय नगरीय निकाय सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवाबदेह होगा;

(च) जब्त सामानों की सूची की छायाप्रति/कार्बन कापी, स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विक्रेताओं को तत्काल प्रदान की जायेगी ।

21. जब्त सामानों को पुनः प्राप्त करने की रीति एवं शुल्क.–

(1) स्थानीय नगरीय निकाय, जब्त सामानों को विक्रेताओं को अर्थदण्ड के भुगतान करने पर वापस किया जायेगा ।

(2) कार्यालयीन समय में अर्थदण्ड के भुगतान करने पर विनश्वर सामाग्री को वापस किया जायेगा।

(3) जहां विनश्वर सामग्री का विक्रेता सामानों को पुनः वापस लेने में विफल रहता है तो ऐसा जब्त सामान को ऐसी रीति में निराकृत करना होगा जिससे स्वच्छता मानकों का अनुपालन हो जाये।

(4) स्थानीय नगरीय निकाय के द्वारा अर्थदण्ड की पावती, विक्रेता को प्रदान किया जायेगा ।

अध्याय दस
सामाजिक अंकेक्षण

22. नगर विक्रय समिति की गतिविधियों के सामाजिक अंकेक्षण की रीति एवं प्रपत्र (परिशिष्ट चार एवं पांच).–

(1) सामाजिक अंकेक्षण नगर विक्रय समिति के गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु आयोजित किया जाना।

(2) सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक शहर के प्रमुख विक्रय प्रक्षेत्र तथा प्राकृतिक बाजारों का सूची तैयार किया जाना।

(3) सामाजिक अंकेक्षण के लिये शहर के संबंधित विक्रय प्रक्षेत्र तथा प्राकृतिक बाजारों में विक्रेताओं की सूची का तैयार किया जाना।

(4) इन विक्रय प्रक्षेत्रों एवं प्राकृतिक बाजारों में से 10 प्रतिशत विक्रेताओं का चयन किया जाना।

(5) 10 प्रतिशत विक्रेताओं का चयन रेन्डम सैंपलिंग के माध्यम से किया जाना।

(6) रेन्डम सैंपलिंग के माध्यम से 2 प्रतिशत प्रमुख बाजारों तथा विक्रय प्रक्षेत्र का चयन किया जाना ।

(7) बाजारों के चयन के पश्चात् विक्रेताओं तथा चयनित बाजार में आने वाले क्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र में सामाजिक अंकेक्षण डेटा संग्रहित करना (परिशिष्ट चार एवं पांच) ।

(8) प्राप्त जानकारी का डेटाबेस नगर वेंडिंग समिति द्वारा तैयार किया जावेगा।

(9) डेटाबेस में प्राप्त जानकारी के आधार पर नगर वेंडिंग समिति द्वारा कमियों में आवश्यक सुधार किये जायेंगे।

23. शर्तें जिसके अधीन निजी स्थानों को प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र एवं गैर विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में अभिहित किया जा सकेगा.–

(1) भू स्वामी एवं स्थानीय नगरीय निकाय मध्य लिखित अनुबंध के द्वारा निजी स्थानों को विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में संचालित किया जा सकता है।

(2) भूमि स्वामी एवं स्थानीय नगरीय निकाय के विक्रेता के मध्य लिखित अनुबंध द्वारा किसी संस्थान की खाली जमीन को भी विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अनुबंध में विक्रय अवधि एवं शुल्क भी विनिर्दिष्ट होंगे ।

(3) अनुबंध में यह भी विनिर्दिष्ट करना होगा कि विक्रय, दैनिक संचालित किया जाना है या साप्ताहित संचालित किया जाना है तथा अनुबंध में विक्रय की अवधि भी विनिर्दिष्ट होगा ।

(4) अनुबंध में यह भी विनिर्दिष्ट हो कि विक्रेता दूषित खाद्य पदार्थ का विक्रय नहीं करेगा।

(5) मादक एवं नशीले पदार्थों का विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा ।

(7) अनुबंध में विनिर्दिष्ट शुल्क के अलावा, विक्रेता स्वच्छता संबंधी सेवा शुल्क के लिये भी दायी होगा ।

(8) विक्रेता, सांप्रदायिक सदभावना को ठेस पहुंचाने वाली वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा।

(9) अनुबंध में यह भी सम्मिलित होगा कि विक्रेता किसी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा।

(10) किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या निजी संस्थान पर विक्रय की अनुमति निम्नलिखित आधार पर दी जा सकती है:—

(क) विक्रय की समय—सीमा के आधार पर;

(ख) विक्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर;

(ग) विक्रय की जा रही वस्तु की अनापत्ति के आधार पर;

(घ) विक्रेता द्वारा स्थान के आकार के संबंध में निवेदन करने के आधार पर एवं निजी संस्थान/व्यवसाय प्रतिष्ठान के स्वामी या प्राधिकृत एजेन्ट के द्वारा अनुमति के आधार पर।

(ड.) निजी संस्थान/व्यापारिक प्रतिष्ठान के स्वामी या प्राधिकृत एजेन्ट की अनुमति के आधार पर।

अध्याय ग्यारह
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानक

24. विक्रेताओं के लिये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानक सुनिश्चित करने के लिये निबंधन एवं शर्तें.—

(1) प्रत्येक विक्रेता सार्वजनिक एवं आसपास के स्थानों पर मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानक बनाये रखेगा ।

(2) विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक सुविधा एवं संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति न हो ।

(3) नगरपालिका सार्वजनिक सुविधा एवं सार्वजनिक संपत्ति के रख रखाव हेतु शुल्क अधिरोपित करेगा ।

(4) नगरपालिका द्वारा विक्रेताओं को अपशिष्ट पदार्थों के उचित निपटान सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(5) नगरपालिका ऐसे कूडेदान/गारबेज बैग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा जिससे गंदगी/बदबू ना फैले।

(6) नगरपालिका पीने के पानी की व्यवस्था तथा समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ।

अध्याय बारह
राज्य नोडल अधिकारी

25. विक्रेताओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने हेतु राज्य नोडल अधिकारी की पदस्थापना.—

(1) राज्य नोडल अधिकारियों को विक्रेताओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये पदस्थ किया जायेगा ।

(2) इस प्रकार अभिहित राज्य नोडल अधिकारी संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक से निम्न श्रेणी का नहीं होगा।

(3) राज्य नोडल अधिकारी क्षेत्रीय मुद्दों एवं योजना के विकास पर विचार विमर्श करने हेतु प्रत्येक छः माह में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी ।

(4) विक्रेताओं की समस्याओं को सुलझाने हेतु फीडबैक फार्म की व्यवस्था की जायेगी।

26. नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकारी, योजना प्राधिकारी तथा राज्य नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के संधारण की रीति.—

(1) नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकारी, योजना प्राधिकारी एवं राज्य नोडल अधिकारी विक्रेता से संबंधित दस्तावेजों का संधारण करेंगे ।

(2) राज्य शासन विक्रेताओं के अभिलेखों के संधारण के लिये ऑन—लाईन साफ्टवेयर विकसित करेगा।

(3) स्थानीय नगरीय निकाय ऑन—लाईन उपलब्ध विक्रेताओं के सर्वेक्षण डेटा बनायेगा।

(4) विक्रेताओं का डेटा वार्डवार एवं बाज़ारवार रखा जायेगा।

(5) विक्रेताओं के विक्रय प्रमाण—पत्र तथा परिचय पत्र को ऑन लाईन बनाने की व्यवस्था करेगा ।

(6) स्थानीय नगरीय निकाय ऑन—लाईन रिकार्ड के संधारण के लिये साफ्टवेयर विकसित करने की अवधि में विक्रेताओं से संबंधित डेटा संधारित करेगा ।

(7) विक्रेताओं से संबंधित समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेखों का भी संधारण राज्य स्तर पर किया जायेगा ।

अध्याय तेरह
विक्रय प्रक्षेत्रों का सहभाजन

27. विक्रय करने के समय के आवंटन की रीति.—

(1) नगर विक्रय समिति, स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं के समय का निर्धारण करेगी।

(2) नगर विक्रय समिति, महिला विक्रेताओं की सुरक्षा संबंधी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये विक्रय के समय का निर्धारण करेगी ।

(3) विक्रय के लिये समय का आवंटन करने के दौरान महिला एवं पुरूष विक्रेता के साथ ऐसे आवंटन के संबंध में नियम एवं मापदण्ड में कोई भेदभाव किये बिना समान रूप से व्यवहार किया जायेगा ।

(4) विक्रय प्रक्षेत्र में विक्रेताओं की संख्या उपलब्ध स्थान की तुलना में अधिक है तो ऐसी परिस्थिति में विक्रेताओं को अलग–अलग पाली में विक्रय करने हेतु समय आवंटित किया जायेगा । इससे समस्त विक्रेताओं को उनके आजीविका संवर्धन में तथा विक्रय प्रक्षेत्र में स्वच्छता मानक संधारित में समान अवसर उपलब्ध होगा ।

(5) ऐसे विक्रय प्रक्षेत्र जहां बाज़ार के खुलने के पूर्व विक्रय किया जाता है वहां विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाना होगा कि बाजार खुलने के बाद स्थान खाली करना होगा, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा ऐसे विक्रय प्रक्षेत्र की स्वच्छता एवं व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी ।

28. प्रतिबंध रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र के निर्धारण हेतु सिद्धांत.–

(1) नगर विक्रय समिति प्रतिबंध रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र का निर्धारण करेगा ।

(2) प्रतिबंध रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र का निर्धारण करते समय सड़क, यातायात एवं परिवहन संचालन को ध्यान में रखा जायेगा। स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विक्रय प्रक्षेत्र में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जायेगी–

(क) विक्रय प्रक्षेत्र में शौचालय का निर्माण– प्रति 10 विक्रेताओं के लिये एक प्रसाधन;

(ख) शौचालय में पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था;

(ग) विक्रेताओं के साथ–साथ क्रेताओं को ध्यान में रखते हुए शौचालय का निर्माण;

(घ) पुरूष एवं महिला के लिए पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण तथा महिला प्रसाधन के लिये महिला केयर–टेकर की व्यवस्था;

(ड.) शौचालय की साफ–सफाई एवं रख–रखाव हेतु किसी सामाजिक संगठन से अनुबंध करना;

(च) विक्रेताओं एवं अन्य द्वारा शौचालय के उपयोग करने पर शुल्क के संग्रहण की व्यवस्था;

(छ) विक्रय प्रक्षेत्र में विक्रेताओं द्वारा शौचालय के उपयोग हेतु मासिक पास की व्यवस्था।

(3) प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र, ऐसे स्थान होंगे जहां विक्रेता, एक निश्चित समयावधि में कार्य करेगा तथा उस अवधि के पश्चात्, विक्रेताओं द्वारा जोन को खाली करना होगा। स्थानीय नगरीय निकाय, ऐसे स्थानों का चिन्हांकन कर विक्रय संबंधी निर्देशों/जानकारियों को सूचना पटल पर ऐसे चस्पा किये जायेंगे, जैसे कि –

(क) प्रतिदिन विक्रय किये जाने का समय;
(ख) साप्ताहिक बाज़ारों में विक्रय किये जाने का समय।

(4) प्रतिबंध रहित विक्रय प्रक्षेत्र, ऐसे स्थान होंगे जहां विक्रेता अपनी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार कार्य कर सकते हैं, तथापि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा, जैसे कि–

(क) स्वच्छता मानकों का संधारण;
(ख) अवैध एवं अनैतिक व्यवसाय का प्रतिषेध एवं विनियमन;
(ग) आबंटित स्थान में ही विक्रय कार्य।

(5) गैर विक्रय प्रक्षेत्र, ऐसे स्थान होंगे जहां विक्रय कार्य किया जाना पूर्णतः वर्जित (प्रतिबंधित) होगा।

29. विक्रय प्रक्षेत्र की क्षमता के निर्धारण का सिद्धांत और उसके व्यापक जनगणना और सर्वेक्षण की रीति.–

(1) नगर विक्रय समिति प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार अपने अधिकारिता के भीतर विक्रेताओं का सर्वेक्षण करायेगा।

(2) चिन्हांकित विक्रेताओं को विक्रय प्रक्षेत्र की ग्रहण क्षमता के आधार पर विक्रय प्रक्षेत्र में व्यवस्थित किया जायेगा।

(3) शेष विक्रेताओं को नजदीकी विक्रय प्रक्षेत्र में व्यवस्थित किया जाना होगा ।

30. विक्रेताओं का स्थानांतरण एवं पुनर्वासन का सिद्धांत.–

(1) जब तक कि किसी जगह की तत्काल आवश्यकता न हो यथा संभव विक्रेताओं के स्थानांतरण को प्रतिबंधित किया जायेगा।

(2) जब पुनर्वास की योजना बनायी जा रही हो तथा क्रियान्वित की जा रही हो तब प्रभावित विक्रेताओं तथा उनके प्रतिनिधियों पर विचार किया जायेगा।

(3) पथ विक्रेताओं के स्थानांतरण के पूर्व उनके आजीविका और जीवन स्तर को सुधारना होगा।

(4) स्थानांतरित विक्रेताओं को उनके जीवन स्तर के संवर्धन के लिए अवसर दिया जायेगा ताकि विक्रेता, नवीन पुनर्वास योजना के अंतर्गत अवसर प्राप्त कर सके।

(5) स्थानांतरण या भूमि संबंधित मुद्दों से विक्रेताओं के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये जायेंगे।

(6) राज्य अपने आर्थिक मानदण्ड के अनुसार विक्रेताओं को बलपूर्वक बेदखल किए जाने को विनियमित करेगा तथा उसकी जांच करेगा।

31. विविध.–

(1) राज्य के चिन्हांकित विक्रेताओं के लिए प्रतिवर्ष विक्रेता महोत्सव का आयोजन किया जायेगा।

(2) विक्रेता महोत्सव प्रतिवर्ष अलग–अलग जिलों में आयोजित किया जायेगा।

(3) स्वच्छता मानकों का पूरे वर्ष पालन किये जाने वाले विक्रेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट एक

सर्वेक्षण प्रपत्र

स्थानीय नगरीय निकाय का नाम : ....
सर्वेक्षण दिनांक : ....
सर्वेक्षणकर्ता का नाम/संस्था : ....
विक्रेता का विशिष्ट पहचान पत्र ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.	विक्रेता का नाम	....
2.	पिता/पति का नाम	....
3.	पता (निवास)	....
4.	पता (व्यवसाय)	
5.	वार्ड क्रमांक एवं नाम	
6.	संपर्क नं.	
7.	आधार नं.	
8.	नामिनी का नाम	1— 2—
9.	जन्म तिथि	
10.	शिक्षा	
11.	क्या आवासीय इकाई स्वयं की है या किराये की	
12.	श्रेणी	☐ सामान्य ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति
13.	निवास से कार्यस्थल की दूरी	
14.	व्यवसाय का प्रकार	(see table below)
15.	क्या आपको परियच पत्र प्राप्त है ?	☐ हां ☐ नहीं
16.	कितने वर्ष से विक्रय कार्य कर रहें है ?	
17.	क्या परिवार के अन्य सदस्य भी विक्रेता है ?	☐ हां ☐ नहीं
18.	क्या कोई प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है (यदि हां तो जानकारी दें)	
19.	विक्रेता की श्रेणी	☐ स्थाई ☐ घुमंतु
20.	कार्यस्थल की स्थिति	☐ किराया ☐ सार्वजनिक

14. व्यवसाय का प्रकार:

	कोड
☐ खाद्य	01
☐ सब्जी	02
☐ कपड़े	03
☐ सजावटी सामग्री	04
☐ जूते	05
☐ घरेलू सामग्री	06
☐ अन्य	99

21.	मौसमी या निरंतर	☐ मौसमी ☐ निरंतर
22.	विक्रय का समय	☐ पूर्णकालिक ☐ सुबह ☐ शाम
23.	औसत आय	
24.	क्या उसका बचत बैंक खाता है (यदि हां तो बैंक का नाम एवं शाखा का नाम उल्लिखित करें)	
25.	क्या आपका बैंक ऋण है?	
26.	क्या बीपीएल/एपीएल के रूप में पंजीकृत है?	

जिला एवं स्थानीय नगरीय निकाय का कोड

जिला कोड	जिले का नाम	स्थानीय नगरीय निकयों की संख्या	स्थानीय नगरीय निकाय का नाम	स्थानीय नगरीय निकाय का कोड
1	2	3	4	5
01	रायपुर			
		01	रायपुर	0101
		02	बीरगांव	0102
		03	तिल्दा नेवरा	0103
		04	गोबरानवापारा	0104
		05	आरंग	0105
		06	अभनपुर	0106
		07	माना कैम्प	0107
		08	खरौरा	0108
		09	कुंरा	0109
02	दुर्ग			
		01	भिलाई	0201
		02	दुर्ग	0202
		03	भिलाई चरौदा	0203
		04	कुम्हारी	0204
		05	जामुल	0205
		06	अहिवारा	0206
		07	पाटन	0207
		08	धमधा	0208
		09	उतई	0209
03	बिलासपुर			
		01	बिलासपुर	0301
		02	तिफरा	0302

1	2	3	4	5
		03	रतनपुर	0303
		04	तखतपुर	0304
		05	सिरगिट्टी	0305
		06	कोटा	0306
		07	गौरेला	0307
		08	बोदरी	0308
		09	पेण्ड्रा	0309
		10	सकरी	0310
		11	बिल्हा	0311
		12	मल्हार	0312
04	कोरबा			
		01	कोरबा	0401
		02	दीपका	0402
		03	कटघोरा	0403
		04	छुरीकला	0404
		05	पाली	0405
05	राजनांदगांव			
		01	राजनांदगांव	0501
		02	डोंगरगढ़	0502
		03	खैरागढ़	0503
		04	डोंगरगांव	0504
		05	गण्डई	0505
		06	अम्बागढ़ चौकी	0506
		07	छुईखदान	0507
		08	छुरिया	0508
06	रायगढ़			
		01	रायगढ़	0601
		02	खरसिया	0602
		03	सारंगढ़	0603
		04	धर्मजयगढ़	0604
		05	किरोड़ीमलनगर	0605
		06	घरघोड़ा	0606
		07	लैलुंगा	0607
		08	सरिया	0608
		09	बरमकेला	0609
		10	पुसौर	0610

1	2	3	4	5
07	जांजगीर–चांपा			
		01	चांपा	0701
		02	जांजगीर–नैला	0702
		03	अकलतरा	0703
		04	सक्ती	0704
		05	बलौदा	0705
		06	खरौद	0706
		07	शिवरीनारायण	0707
		08	नयाबाराद्वार	0708
		09	नवागढ़	0709
		10	जैजेपुर	0710
		11	डभरा	0711
		12	चन्द्रपुर	0712
		13	अड़भार	0713
		14	सारागांव	0714
		15	राहौद	0715
08	कोरिया			
		01	चिरमिरी	0801
		02	मनेन्द्रगढ़	0802
		03	बैकुण्ठपुर	0803
		04	शिवपुरचरचा	0804
		05	खोंगापानी	0805
		06	झगराखण्ड	0806
		07	नई–लेदरी	0807
09	बलौदाबाजार			
		01	भाटापारा	0901
		02	बलौदाबाजार	0902
		03	सिमगा	0903
		04	कसडोल	0904
		05	भटगांव	0905
		06	लवन	0906
		07	पलारी	0907
		08	टुण्डरा	0908
		09	बिलाईगढ़	0909

1	2	3	4	5
10	धमतरी			
		01	धमतरी	1001
		02	कुरूद	1002
		03	नगरी	1003
		04	भखारा	1004
		05	आमदी	1005
		06	मगरलोड	1006
11	सरगुजा			
		01	अंबिकापुर	1101
		02	सीतापुर	1102
		03	लखनपुर	1103
12	बस्तर			
		01	जगदलपुर	1201
		02	बस्तर	1202
13	महासमुंद			
		01	महासमुंद	1301
		02	सरायपाली	1302
		03	बागबहरा	1303
		04	बसना	1304
		05	पिथौरा	1305
		06	तुमगांव	1306
14	बालोद			
		01	दल्लीराजहरा	1401
		02	बालोद	1402
		03	गुण्डरदेही	1403
		04	डौंडी	1404
		05	चिखलाकसा	1405
		06	डौंडीलोहारा	1406
		07	अर्जुन्दा	1407
		08	गुरूर	1408
15	कबीरधाम			
		01	कवर्धा	1501
		02	पंडरिया	1502
		03	सहसपुर–लोहारा	1503
		04	पाण्डातराई	1504
		05	बोड़ला	1505
		06	पिपरिया	1506

1	2	3	4	5
16	कांकेर			
		01	कांकेर	1601
		02	पखांजूर	1602
		03	चरामा	1603
		04	भानुप्रतापपुर	1604
		05	अंतागढ़	1605
		06	नरहरपुर	1606
17	जशपुरनगर			
		01	जशपुरनगर	1701
		02	पत्थलगांव	1702
		03	कुनकुरी	1703
		04	बगीचा	1704
		05	कोतबा	1705
18	बेमेतरा			
		01	बेमेतरा	1801
		02	नवागढ़	1802
		03	खम्हरिया	1803
		04	मारो	1804
		05	देवकर	1805
		06	साजा	1806
		07	बेरला	1807
		08	परपोड़ी	1808
19	दंतेवाडा			
		01	बड़ी बचेली	1901
		02	किरन्दुल	1902
		03	दन्तेवाड़ा	1903
		04	गीदम	1904
		05	बारसूर	1905
20	मुंगेली			
		01	मुंगेली	2001
		02	लोरमी	2002
		03	सरगांव	2003
		04	पथरिया	2004
21	सूरजपूर			
		01	सूरजपुर	2101
		02	विश्रामपुर	2102
		03	भटगांव	2103
		04	जरही	2104
		05	प्रतापपुर	2105
		06	प्रेमनगर	2106

1	2	3	4	5
22	कोण्डागांव			
		01	कोण्डागांव	2201
		02	केसकाल	2202
		03	विश्रामपुरी	2203
		04	फरसगांव	2204
23	गरियाबंद			
		01	राजिम	2301
		02	गरियाबंद	2302
		03	फिंगेश्वर	2303
		04	छुरा	2304
24	बलरामपुर			
		01	बलरामपुर	2401
		02	रामानुजगंज	2402
		03	कुसमी	2403
		04	वाड्रफनगर	2404
		05	राजपुर	2405
25	बीजापुर			
		01	बीजापुर	2501
		02	भैरमगढ़	2502
		03	भोपालपट्नम	2503
26	सुकमा			
		01	सुकमा	2601
		02	दोरनापाल	2602
		03	कोण्टा	2603
27	नारायणपुर			
		01	नारायणपुर	2701

परिशिष्ट दो

नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

विक्रय प्रमाणपत्र प्ररूप

1.	स्थानीय नगरीय निकाय का नाम	
2.	विक्रेता का नाम	....
3.	पिता/पति का नाम	....
4.	पता (निवास) (व्यवसाय)	....
5.	सांकेतिक नं.	
6.	व्यवसाय	
7.	वार्ड क्रमांक एवं नाम	
8.	संपर्क नं.	
9.	जन्म तिथि	
10.	शिक्षा	

विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के मापदण्ड–

1. स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा, नगर विक्रय समिति के समक्ष रू. 50 के मूल्य के स्टांम्प पेपर पर वचन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की पुष्टि करनी होगी कि–

   (क) विक्रेता द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र केवल स्वयं या परिवार के आश्रित सदस्यों के उपयोग में लाया जायेगा।

   (ख) विक्रय प्रमाणपत्र को हस्तान्तरित अथवा विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

   (ग) विक्रेता के पास स्थानीय नगरीय निकाय की सीमा के भीतर कोई अन्य सार्वजनिक स्थान, दुकान अवस्थित नहीं है।

   (घ) विक्रेता को पुष्टि करनी होगी कि उसके आश्रित या परिवार के सदस्य (पत्नी/पुत्र) को विक्रेता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

   (ड.) विक्रेता, विक्रय प्रमाणपत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के अनैतिक तथा अवैध व्यवसाय हेतु नहीं करेगा।

   (च) विक्रेता, विक्रय प्रमाणपत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामग्री के विक्रय हेतु नहीं करेगा।

   (छ) विक्रेता, विक्रय प्रमाणपत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के मादक/नशीले पदार्थ के विक्रय हेतु नहीं करेगा।

(ज) विक्रेता, विक्रय जोन पर स्वच्छता नियमों का पालन करेगा।
(झ) विक्रेता, किसी भी प्रकार के पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
(ञ) विक्रेता, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का परिपालन करेगा।

विक्रय प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्तें.–

1. जारी किये गये प्रमाणपत्र का तात्पर्य विक्रय द्वारा भूमि का स्वामित्व नहीं है। निबंधन एवं शर्तों के आधार पर विक्रेता को व्यापार करने की अनुमति होगी।
2. विक्रेता या उसके परिवार के आश्रित सदस्यों, जो विक्रय का कार्य करते है उनकी उम्र 14 वर्ष से कम नही होनी चाहिये ।
3. विक्रेता किसी अवैध या अनैतिक व्यवसाय में संलग्न न हो तथा विक्रय के समय विक्रेता को मादक पदार्थ का सेवन पूर्णतः निषेध हो।
4. विक्रेता को राज्य शासन या स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निषेध कोई व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी।`
5. विक्रय प्रमाणपत्र को हस्तान्तरित अथवा विक्रय नही किया जा सकेगा ।
6. विक्रय प्रमाणपत्र में विक्रेता का वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए। यदि विक्रेता की पत्नी या वयस्क बच्चों के द्वारा वक्रय का कार्य किया जाता है तो सदस्यों की फोटो भी विक्रेता प्रमाणपत्र के सामने चस्पा किया जाना होगा।
7. स्थानीय नगरीय निकाय का सक्षम प्राधिकारी सर्वे के दौरान छूटे हुए विक्रेताओं को प्रमाणपत्र जारी करेगा।
8. विक्रय प्रमाणपत्र के खो जाने या विक्रय प्रमाणपत्र के चोरी हो जाने की स्थिति में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर प्रमाणपत्र पुनः जारी किया जा सकेगा।
9. नये विक्रेता तथा नवीन विक्रय जोन का चिन्हांकन निरंतर चलने वाली प्रकिया है अतः स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा यह कार्य निरंतर किया जायेगा।
10. विक्रेता की मृत्यु होने की स्थिति में, विक्रय प्रमाणपत्र उसके बच्चों को जारी किया जायेगा। ऐसे मामले में जहाँ पुत्र भी विक्रेता है तो उसकी पत्नी को प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।
11. विक्रेता जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है को प्राथमिकता दी जायेगी ।
12. मौसम आधारित व्यवसाय करने वाले विक्रेता को अस्थाई प्रमाणपत्र एवं रसीद जारी किया जायेगा ।

परिशिष्ट तीन

विक्रेता पहचान पत्र का प्ररूप

विक्रेता का विशिष्ट पहचान पत्र | | | | | | | | | | | | |

1.	विक्रेता का नाम	....
2.	पिता/पति का नाम	....
3.	पता (निवास)	....
4.	पता (कार्य स्थल)	
5.	वार्ड नं. एवं नाम	
6.	सम्पर्क नं.	
7.	आधार कार्ड नं./मतदाता परिचय पत्र नं./वाहन चालन अनुज्ञप्ति नं.	
8.	नामिनी	1– 2–
9.	जन्म तिथि	
10.	शिक्षा	
11.	जारी तिथि	

महत्वपूर्ण निर्देश

1. यह कार्ड अहस्तान्तरणीय है तथा विक्रेता एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग किया जायेगा।
2. विक्रय कार्य के समय विक्रय कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
3. स्थानीय नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विक्रेता को कार्ड दिखाना होगा।
4. कार्ड के खो जाने/नष्ट होने की स्थिति में, संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय हो सूचना देनी होगी।
5. पहचान पत्र बैंक में खाता खोलने हेतु वैध होगा।
6. पहचान पत्र का उपयोग किसी अवैध या अनैतिक व्यवसाय के लिये नहीं किया जायेगा।
7. पहचान पत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के विस्फोटक से संबंधित व्यवसाय के लिए नहीं किया जायेगा।

आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्
.... छत्तीसगढ़

परिशिष्ट चार

नगर विक्रय समिति के गतिविधियों के लिये सामाजिक अंकेक्षण प्रारूप

स्थानीय नगरीय निकाय का नाम : ....

विक्रेता का नाम : .... उम्र..........

वार्ड क. तथा नाम ....

बाजार का नाम ....

अंकेक्षण की तिथि : ....

स.क्र.	अंकेक्षण के बिन्दु	प्रश्न	
1.	अंकेक्षण	क्या आपका विक्रय से संबंधित सर्वेक्षण किया गया है ?	□हां □नहीं
2.	पंजीयन एवं प्रमाण–पत्र का वितरण	क्या आपको पहचानपत्र प्रदान किया गया है ?	□हां □नहीं
		क्या आपको विक्रय प्रमाणपत्र दिया गया है ?	□हां □नहीं
3.	बैठक व्यवस्था	क्या आपको विक्रय प्रमाणपत्र में उल्लिखित अनुसार जगह उपलब्ध है ?	□हां □नहीं
		क्या आपके विक्रय प्रक्षेत्र की नियमित सफाई की जाती है?	□हां □नहीं
4.	अधोसंरचना एवं सुविधायें	क्या आपके विक्रय जोन में कूड़ादान की व्यवस्था है?	□हां □नहीं
		क्या आपके विक्रय प्रक्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है ?	□हां □नहीं
		क्या आपके विक्रय प्रक्षेत्र में पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था है ?	□हां □नहीं
		क्या आपके विक्रय प्रक्षेत्र शौचालय/मूत्रालय की व्यवस्था है ?	□हां □नहीं
		क्या आपके विक्रय प्रक्षेत्र शौचालय/मूत्रालय में पर्याप्त जल की व्यवस्था है ?	□हां □नहीं
		शौचालय/मूत्रालय के उपयोग हेतु मासिक शुल्क देय है ?	□हां □नहीं
5.	स्थानीय निकाय/ नगर विकय समिति द्वारा अवलोकन एवं निरीक्षण	क्या स्थानीय निकाय द्वारा आपके विकय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है ?	□हां □नहीं
		नगर विकय समिति द्वारा विकेताओं को समय–समय पर सहयोग प्रदान किया गया ?	□हां □नहीं
		यदि हां तो कितने दिनों में ?	दिनों में ....
		स्थानीय निकाय द्वारा निरीक्षण के दौरान आपकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है ?	□हां □नहीं
		यदि हां तो क्या समस्याओं का निराकरण किया गया ?	□हां □नहीं

6.	प्रशिक्षण कार्यशाला	क्या आपके लिए कभी प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया ?	□हां □नहीं
		यदि, हां तो आप उसमें उपस्थित हुए ?	□हां □नहीं
		क्या यह कार्यशाला लाभप्रद थी ?	□हां □नहीं
		क्या आपको कार्यशाला में स्वच्छता मानकों/ प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंध कानून की जानकारी दी गई ?	□हां □नहीं
		क्या कार्यशाला में आपको व्यापार में उन्नति के अवसरों के संबंध में जानकारी दी गई ?	□हां □नहीं
7.	वित्तीय साक्षरता/ समावेशन शिविर, बैंक लिकेंज, बैंक ऋण तथा अन्य सुविधाओं से जुड़ाव	क्या आपका बैंक खाता खोला गया है ?	□हां □नहीं
		क्या आपको बैंक से ऋण प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी गई है ?	□हां □नहीं
		क्या आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत कार्ड धारक है ?	□पूर्ण □आंशिक □साहमत
		क्या आपको बैंक खाता तथा वित्त के संचालन विषयक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ?	□हां □नहीं
8.	विक्रेता का स्व–सहायता समूह का गठन, प्रशिक्षण, बैंक खाता खोला जाना इत्यादि	क्या आप किसी स्व–सहायता समूह के सदस्य है ?	□हां □नहीं
		क्या आपको स्व–सहायता समूह से जुड़ाव हेतु प्रोत्साहित किया गया ?	□हां □नहीं
		क्या आपको स्व–सहायता समूहों के गठन, संचालन एवं उससे प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी है ?	□हां □नहीं
9.	विक्रेता को आवास तथा अन्य ऋण सुविधाओं एवं शासकीय बीमा योजनाओं से जोड़ा जाना	क्या आपको राजीव ऋण योजना तथा अन्य आवास योजनाओं की जानकारी है?	□हां □नहीं

अंकेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट पांच

क्रेता द्वारा नगर विक्रय समिति के गतिविधियों का सामाजिक अंकेक्षण प्ररूप

स्थानीय नगरीय निकाय का नाम : ....

क्रेता का नाम : .... वार्ड नं. .... उम्र...

बाजार का नाम ....

अंकेक्षण की तिथि : ....

स.क्र.	अंकेक्षण के बिन्दु	प्रश्न	टिप्पणियां
1.	बाजार व्यवस्था	क्या आप इस बाजार में आते हैं? □हमेशा □कभी–कभी □बहुत कम	
		क्या आप इस बाजार से संतुष्ट हैं? □पूरी तरह □आंशिक □असंतुष्ट	
2.	बाजार स्वच्छता	क्या इस बाजार में स्वच्छता संबंधी बातों का ध्यान दिया जा रहा है ? □पूरी तरह □आंशिक □असंतुष्ट	
3.	बाजार में प्रसाधन व्यवस्था	क्या बाजार में ग्राहकों शौचालय/मूत्रालय की व्यवस्था है? □हां □नहीं	
		क्या बाजार स्थित शौचालय/मूत्रालय का उपयोग आपके द्वारा किया गया है ? □हां □नहीं	
		यदि हां तो क्या शौचालय/मूत्रालय की स्वच्छता संतोषप्रद है? □पूरी तरह □आंशिक □असंतुष्ट	
		क्या शौचालय/मूत्रालय में पर्याप्त जल व्यवस्था है? □हां □नहीं	
4.	बाजार में यातायात	क्या इस बाजार के यहां लगाए जाने के कारण यातायात बाधित हो रही है? □हां □नहीं	
5.	विक्रेताओं का आचरण	यहां विक्रय कर रहे विक्रेताओं का व्यवहार संतोषप्रद है? □पूरी तरह □आंशिक □असंतुष्ट	

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 5-36/2015/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-36/2015/18 दिनांक 09-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 9 August 2016

No. F 5-36/2015/18.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 38 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (No. 7 of 2014) and after consultation with the Local Authority and the Town Vending Committee, the State Government, hereby, formulates the following scheme for the welfare of Street Vendors, namely:—

SCHEME

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. **Short title, commencement and extent.—**

(1) This scheme shall be called the Chhattisgarh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2016.

(2) It shall come in to force from the date of publication in the Official Gazette.

(3) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

2. **Definitions.—** The words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (No. 7 of 2014) and the Chhattisgarh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015.

CHAPTER-II

SURVEY OF STREET VENDORS

3. **Survey.—**

(1) Method of Survey shall be as follows,—

(a) a team is to be constituted for vendor survey;

(b) constituted team will complete the survey work with the instruction and guidance of Town Vending Committee (TVC);

(c) composition of survey team includes,-

(i) Revenue Inspector,
(ii) Assistant Revenue Inspector,
(iii) Assistant Project Officer (NULM),
(iv) Mission Manager (NULM),
(v) Community Organizers, and
(vi) ward in-charge from Urban Local Bodies (ULB).

(d) constituted team will perform ward wise survey in the assigned format (ANNEXURE I);

(e) at the time of collecting important information in the assigned format, photo copy of Voter Id/Aadhar Card/ Driving License must be obtained for verification of information;

(f) database of information collected through assigned format will be immediately prepared by the Town Vending Committee (TVC);

(g) survey team will observe the vending zone and local natural market at the time of survey;

(h) Urban Local Bodies (ULB) and Town Vending Committee (TVC) can take service of any survey agency (through RFP) for survey;

(i) City Level Federation (CLF) can also be given the responsibility for survey of vendors.

(2) **Matters relating to taking services from Survey Agency,-**

(a) Survey Agency will complete the survey work under the instruction and guidance of Town Vending Committee (TVC);

(b) Survey Agency will collect information in assigned format and will also collect important documents to verify the information (Voter ID/Aadhar card/ Driving License);

(c) The Survey agency will be time bound to complete the survey work as per the agreement with Town Vending Committee and Urban Local Bodies;

(d) database of information collected in the survey format will be immediately prepared by Survey Agency;

(e) ward wise survey of vendors will be completed by the Survey Agency;

(f) During the survey, the survey agency will not incite fear or foster greed in the street vendors or their family members.

CHAPTER-III

VENDING CERTIFICATE AND IDENTITY CARD

4. **Time limit to distribute vending certificate to surveyed vendors.—** Vending certificate will be issued to all registered vendors through Nagar Palika Nigam/ Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat within three months from the date of completion of survey.

5. **Terms and conditions to provide Vending Certificate.—** Terms and conditions for Vending Certificate shall be as follows,-

(a) Vending Certificate does not confer ownership of land, but only confers the use of land based on certain conditions;

(b) vendor or dependent family members who are engaged in vending work must not be less than 14 years of age;

(c) vendor should not be involved in any illegal or immoral occupation;

(d) vendor should not be involved in any occupation which is prohibited by the State Government or by the Local Urban Authority;

(e) vending certificate cannot be transferred or sold;

(f) a recent passport size color photo of vendor must be affixed on the vending certificate; and if the wife or adult child of vendor does the vending work then, the said member's photo must also be affixed in vending certificate;

(g) by providing application to designated authority of Urban Local Body, vending certificate can be issued to those who were left out during survey;

(h) in case of loss or theft of vending certificate, the certificate can be reissued by competent authority of Urban Local Body by charging the scheduled fee;

(i) identification of new vendor and new vending zone is a continuous process and this work must be carried out continuously by Urban Local Bodies (ULBs).

6. **Criteria, additional terms and conditions and format of Vending Certificate.—** Criteria and terms and conditions for the issue of Vending Certificate specified in Annexure II will be complied with and the format of the Vending Certificate will be as specified therein.

7. **Method and format to issue Identity card to vendors.—** The vendors shall be issued Identity Card as specified in Annexure II subject to the following conditions,-

(a) Identity card will be issued under the Signature of Commissioner or Chief Municipal Officer of Local authority;

(b) Identity card must contain a photograph;

(c) The Local authority must provide the following information on the Identity Card- Date of Issue, Validity Period, Registration Number, Zone Number, Vending Place, Vending Period, Category of Vending, Type of Occupation, Full Address, Signature and Designation of Issuing Authority and on other side Instructions must be printed.

(d) Identity card issued to vendor will carry a 12 digit Nomination Code in which first two digit will be District Code, next two digit will be Urban Local Body Code, next two digit will be vendors Ward Code, next two digit will the code of the Products / Goods sold by the Vendor & next four digit will be the serial number of Vendor which will be issued according to the number of vendors in the particular Urban Local body.

8. **Parameters to issue vending certificate to vendors.—**

(1) Vendors will be issued vending certificate by the Urban Local Body based on the following parameters,-

(a) Vendors have to produce stamp paper of Rs. 50 before the Town Vending Committee with a letter of promise, with the following implications-

(i) vendor will use the vending certificate for himself or for his/her dependent family members only;

(ii) vending certificate will not be transferred or sold;

(iii) vendor does not have any other available or allotted vending place or any shop within the boundaries of the Urban Local Body;

(iv) vending certificate has not been issued to any other dependent family members (wife/son) of vendor;

(v) vendors will not use the vending certificate for any type of illegal or immoral occupation;

(vi) vendor will not use the vending certificate for vending of any type of explosive item;

(vii) vendor will not use the vending certificate for vending of any type of alcoholic / drug items;

(viii) vendor will follow sanitation rules in the Vending Zone;

(ix) vendor will not use any type of Polythene/plastic carry bags;

(2) The State Government may issue further instructions from time to time which will have to be complied with by the vendor.

CHAPTER-IV

FEE CHARGES AND PENALTIES

9. **Basis for determining vending fees to be collected from the vendors,—**

S.N.	Corporation/ urban body	Fee to be decided by Urban Local Body	Condition of market	Vendor category
1	Nagar Pallika Nigam		Daily Market, Weekly Market, Main Market, High Vending Zone	Wandering, Permanent, Seasonal, Constant
2	Nagar Pallika Council			
3	Nagar Panchayat			

10. **Method of collecting the vending fee.—**

(1) Every Town Vending Committee (TVC) will have a bank account.

(2) Every street vendor will deposit in such account, in the prescribed form, money which could be the vending fees or charges and penalties related to registration use of parking space for mobile stalls and availing of civic services every month. The details of such deposit must be recorded in the prescribed form.

(3) An annual audit of the account will be carried out by the TVC.

(4) The local authority concerned is free to make its own alternative arrangement for collection of fees, charges and penalties.

CHAPTER V

VALIDITY, RENEWAL, CANCELLATION AND SUSPENSION OF VENDING CERTIFICATES

11. **Validity of Vending Certificate.—**

(1) Vending Certificate will be valid for a period of 5 years from the date of issue.

(2) The Vending Certificate can be renewed after 5 years on payment of appropriate vending fees.

(3) In case the vendor relocates to another town/ vending zone or in case of his death, the vending certificate should be handed over to the Urban Local Body.

12. **Method and time limit for renewal of the Vending Certificate.—**

(1) On completion of five years, the Vending Certificate can be extended for the next five years on approval of the Town Vending Committee.

(2) The fees to be charged on renewal of the Vending Certificate has to be determined on the basis of commercial viability of the place and of the goods being sold by the vendor.

13. **Method of cancelation or suspension of Vending Certificate.—**

(1) The Vending Certificate can be cancelled or suspended for the following reasons—

(a) if vending is not done in the scheduled vending zone;

(b) if the vendor illegally occupies areas beyond his allotted vending zone or spreads out his goods beyond the allotted vending zone or illegally creates temporary or permanent establishments;

(c) despite warnings, the vendor litters or dirties the space in or around his allotted vending zone;

(d) if the vendor violates the rules prescribed by the Urban Local Body;

(e) if the vendor ignores traffic rules and thereby causes circumstances that disrupt traffic;

(f) if the vendor fails to pay the vending fee determined by the Urban Local Body within the prescribed time;

(g) if the vendor fails to produce his identity card or vending certificate on being demanded by the competent authority of the Urban Local Bodies;

(h) in the event of the street vendor frequently using plastic carry bags;

(i) in the event of the street vendor not complying with standards of hygiene;

(j) if the street vendor has employed any child below 14 years of age, thereby violating the provisions of Child Labour (Prohibition and Bye-laws (Regulations)) Act, 2005;

(k) if the vendor indulges in misbehavior/ eve teasing towards other vendors;

(l) if the vendor is found indulging in any illegal or immoral activity in the conduct of his business;

(m) if the vendor vends either drugs or alcohol or explosives.

CHAPTER VI

CLASSIFICATION OF VENDORS

14. **Classification of vendors.—**

(1) Vendors can be classified into three main types:

(a) permanent;

(b) seasonal; and

(c) mobile vendor.

(2) Vendors can also be categorized with reference to the places from where they are operating, for example-

(a) natural markets

(b) weekly markets

(c) heritage markets

15. **Special Categorization.—**

(1) The following categories of vendors must be given preference while granting vending certificate-

(a) Disabled person

(b) Senior citizen

(c) Divorced or widow.

(d) Third gender community

(e) Women

(2) Preference shall be given to the above category of vendors in distribution of certificates based on recommendations by the Town Vending Committee.

CHAPTER VII

RELOCATION OF VENDORS

16. **Relocation of Vendor.—**

(1) Vendors may be relocated in Public Interest for the following causes—

(a) if the traffic is not convenient and systematically organized;

(b) if the vending zone is overcrowded;

(c) if the vending zone is in narrow track;

(d) at the time of widening of the road;

(e) in the event of violation of the master plan;

(f) in and around of the very special or important personality house, from safety point of view;

(g) on the side ways of vending zone, if there is proposal for telephone line, electric line , drainage construction, beautification of road side or if it is located on government land for other purpose.

CHAPTER VIII

EVICTION OF VENDORS

17. **Manner of Eviction of Vendors.—**

(1) In the following circumstances the vendors may be evicted by the Urban Local Body with the prior approval from the Town Vending Committee after being served a month notice,-

(a) if the vendor occupies any land in any part of the town wherein his allotted vending zone is not located;

(b) if any development work is proposed by the government or local body in the vending zone;

(c) if the traffic system is interrupted by the vendors;

(d) if the vendor litters or dirties the surrounding;

(e) if the vendor disrupts the pipelines or power lines by disposing off garbage or damaging;

(f) if the vendor indulges in any illegal or immoral activity in the conduct of his business;

(g) if the vendor is convicted of any offence in any trial court;

(h) if the vendor misbehaves with any person;

(i) in the event of separate vending zones being constructed or being made available for street vendors;

(j) in the event of the vendor vending without a valid vending certificate;

(k) in the event of the vendor failing to produce the vending certificate or identity card on demand;

(l) in the event of a shop/kiosk being allotted to the vendor by the Urban Local Body;

(m) In the event of being complained against by 80 percent or more vendors.

18. **The manner of giving notice to evict of vendors.—**

(1) The following procedure will be followed for eviction of vendors,-

(a) the vendor has to be issued a 30 day notice by the Urban Local Body;

(b) the eviction notice and a notice consisting of names of all street vendors affected by such eviction will be affixed to the notice board of the Urban Local Body;

(c) 48 hours before eviction, a final notice in the form of a proclamation will be given to the street vendors in the vending zones by the Urban Local Body.

19. **Manner of eviction in case of failure to vacate within the notice period.—**

(1) In the event of completion of the notice period under Section 18 of the act, the vendors can be forcibly evicted.

(2) In the course of eviction, the local body will take the assistance of the local police.

(3) For the eviction of female vendors, the assistance of female police personnel will be taken.

(4) The penalties imposed alongside eviction will not exceed the value of goods held for sale by the vendors.

(5) In case the vendors or his peers forcibly resist the authorities, legal proceedings will be initiated against them.

CHAPTER IX

SEIZURE OF GOODS

20. **Terms and Conditions of seizure of goods by the Urban Local Body.—**

(1) The following procedure will be followed by the Urban Local Body for seizure of goods of the vendors and preparation of list of goods seized under Section 19 of the Act-

(a) every possible care must be taken to prevent damage to goods;

(b) every possible care must be taken to prevent contamination of food items, if any such items are subject to seizure;

(c) every possible care must be taken to prevent damage to breakable plastic goods;

(d) the Urban Local Body shall not be responsible for deterioration of perishable goods (fruit/flower/vegetable/meat etc);

(e) Urban Local Body shall be responsible for security;

(f) A photo copy/ carbon copy of the list of seized goods will be immediately handed over to the vendors by the Urban Local Body.

21. **Manner and fine for reclaiming seized goods.—**

(1) The Urban Local Body shall return the seized goods to the vendor on payment of fine.

(2) The perishable goods shall be returned during office hours on payment of fine.

(3) Where the vendor of perishable goods fails to reclaim the goods, such seized goods must be disposed off in such a manner so as to comply with standards of hygiene.

(4) A receipt of fine recovered by the Urban Local Body shall be handed over to the vendor.

CHAPTER X

SOCIAL AUDITING

22. **Manner and form of Social Auditing of the activity of Town Vending Committee (Annexure IV and V).—**

(1) A Social audit is to be conducted to review the activities of the Town Vending Committee.

(2) A list of major vending zones and natural markets in every city is to be prepared for social audit.

(3) A list of vendors in the respective vending zones and natural markets in the city is to be prepared for social audit.

(4) 10 per cent of vendors are to be selected from amongst these vending zones and natural markets.

(5) The selection of these 10 per cent vendors will be through random sampling.

(6) 2 per cent of major markets and vending zones are to be selected through random sampling.

(7) After the selection of markets, social audit data is to be collected from the vendors and buyers of the selected markets in the specified format. (Annexure IV and V).

(8) A database of the information collected through social audit will be prepared by the Town Vending Committee.

(9) Based on the information obtained from the social audit, the Town Vending Committee will make requisite provisions to deal with the existing shortcomings.

23. **Conditions under which Private places may be designated as restricted vending zones, partially restricted zone and no vending zone.—**

(1) Private places can be operated as vending zones by a written agreement between land owners and Urban Local Body.

(2) Any institution's vacant land can be used as a vending zone by a written agreement between land owner and the vendor of the Urban Local Body. The agreement must also specify the vending duration and fee.

(3) The agreement must also specify whether the vending is to be conducted daily or weekly, and the agreement should also specify the duration of vending.

(4) The agreement should also specify that the vendor will not sell contaminated food.

(5) Alcoholic beverages and narcotic drugs will not be vended.

(6) Inflammable and explosive substances will not be vended.

(7) In addition to the fee in the agreement, the vendor is also liable to pay sanitation service fee.

(8) The vendor shall not vend any object that disrupts communal harmony.

(9) The agreement will also include that the vendor will not use any loud noise producing equipment.

(10) The permission for vending on any business establishment or private institution can be granted on the following terms-

(a) on the basis of time limit for vending;

(b) on the basis of quality of goods being vended;

(c) on the basis of goods being unobjectionable;

(d) on the basis of request regarding the size of space by the vendor, and the extent to which the same is being permitted by the private institution/ business organization via the owner or the authorized agent;

(e) on the basis of the permission of the private institution/ business organization via the owner or the authorized agent.

CHAPTER XI

HEALTH AND HYGIENE STANDARDS

24. **Terms and conditions for securing standards of health and hygiene for vendors.—**

(1) Each vendor shall maintain health and hygiene standards in and around public places according to the parameters laid down.

(2) Vendor shall ensure that no loss is caused to public convenience and public property.

(3) The Municipality shall impose fee for maintenance of public convenience and public property of the vendors.

(4) The vendor shall have to follow the appropriate procedure laid down by the Municipality to ensure proper disposal of waste.

(5) The Municipality will ensure provision of dustbin/ trashcan to prevent foul smell from spreading around.

(6) The Municipality will ensure provision of drinking water and proper lighting arrangements.

CHAPTER XII
STATE NODAL OFFICERS

25. **Posting of State Nodal Officers for ensuring co-ordination amongst vendors.—**

(1) State Nodal Officers shall be posted for the purpose of ensuring co-ordination amongst vendors.

(2) The State Nodal Officer so designated shall be of rank not less than that of a Joint director placed at Directorate, Urban Administration and Development Department.

(3) State Nodal Officer shall organize meetings once every six months to discuss the regional issues and develop the plan.

(4) A provision of feedback form shall be developed for problems faced by the vendors.

26. **The manner of maintenance of documents by State Vending Committee, the local authority, planning authority and the State Nodal Officer.—**

(1) The Town Vending Committee, Local Authority, Planning Authority and State Nodal Officers will maintain the documents relating to the vendors.

(2) The State Government will develop online software for the maintenance of record of vendors.

(3) The Urban Local Body shall make the survey data of the vendors available online.

(4) The vendor data shall be maintained Ward wise and Market wise.

(5) Provision of making the Vending Certificate and ID Card of the vendors shall be available online.

(6) The Urban Local Body shall maintain data related to the vendor during the period of software development for online record maintenance.

(7) All documents and records related to vendor shall also be maintained at State level.

CHAPTER XIII

SHARING OF VENDING ZONES

27. **The manner of distribution of the time of Vending.—**

(1) The Town Vending Committee shall determine the vending time taking into account the availability of space.

(2) The Town Vending Committee shall determine the time taking into account for safety parameters of women vendors.

(3) In allotting time span for vending the male and female vendors will be treated equally without any discrimination in the rules and parameters concerned with such allotment.

(4) In case the number of vendors in vending zones exceeds the space available, vendors shall be allotted time-spans for vending in different shifts. This will provide equal opportunity to all vendors in the promotion of their livelihood and in maintaining standards of hygiene at the vending zone.

(5) Where vending activities take place before the opening of markets that function in the location of such vending zone, vendors have to be given strict instructions to vacate the place before such opening. Further, they will also have to maintain cleanliness and order of such vending zones.

28. **Principles for determining restriction free vending zones, partly restricted vending zones and no-vending zone.—**

(1) The Town Vending Committee shall determine the restriction free vending zones, partly restricted vending zones and no-vending zone of the city.

(2) During the determination of restriction free vending zone, partially restricted vending zone and no vending zone the smooth functioning of roads, traffic and transportation shall be taken into account. The Urban Local Bodies will also have to make arrangements for-

(a) the construction of toilets at vending zones- at the rate of one urinal for every 10 vendors;

(b) the provision of adequate water supply in toilets;

(c) the construction of toilets keeping buyers in mind alongside vendors;

(d) the construction of separate toilets for men and women along with care-takers for women's toilets;

(e) entering into agreements with social organizations for the maintenance and cleanliness of the toilet;

(f) the provision for the collection of fees on usage of toilets by vendors and others;

(g) monthly passes for the usage of toilets in the vending zones by the vendors.

(3) Restricted vending zone shall be in a place where vendor can operate in a specific time period and after that period, the vendors will have to vacate the zone. The Urban Local Body shall identify such places and vending-related instructions/information shall be pasted on notice boards such as-

(a) time span for vending in a day;
(b) time span for vending in weekly markets.

(4) The restriction free vending zone shall be in a place where vendors can operate as per their convenience and necessity. However, the vendor must ensure compliance with regards to guidelines and criteria laid down by local authority, such as-

(a) maintenance of Hygiene standards;
(b) prohibition and regulation of illegal and unethical businesses;
(c) vending within the confines of allotted place.

(5) No vending zone shall be the place where practice of vending is completely prohibited.

29. **Principle of determining strength of Vending zone and manner for comprehensive census and survey.—**

(1) The Town Vending Committee will conduct a survey of vendors within its jurisdiction, once in every five years.

(2) The identified vendors shall be arranged in vending zones on the basis of absorption capacity of the vending zone.

(3) The remaining vendors shall have to be arranged in nearby vending zones.

30. **Principles of shifting and rehabilitation of vendors.—**

(1) Unless there is urgent need for the use of a place, shifting of vendors shall be prohibited as far as possible.

(2) While the scheme of rehabilitation is being planned and executed, the affected vendors and their representatives will be taken into consideration.

(3) Before transferring the street vendors, their livelihood and quality of life must be improved.

(4) The transferred vendors will be given opportunities to enhance their quality of life, so that the vendors can avail the opportunities under the new scheme of rehabilitation.

(5) The rights of vendors shall not be affected by transfers or land-related issues. The transfers shall be in accordance with the provisions of the Act.

(6) The State will regulate the forcible eviction of vendors according to the economic parameters, and then investigate upon the same.

31. **Miscellaneous.—**

(1) Vendor's festival shall be organized annually for the identified vendors of the State.

(2) Vendors Festival shall be organized every year in different districts.

(3) Vendors shall be rewarded for year-long maintenance of hygiene standards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

Annexure I

Survey Performa

Name of ULB(s) --

Date of survey --

Name of surveyor/organization --

Unique ID of vendor ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.	Name of vendor	-- -----------------------
2.	Father/husband name	-- -----------------------
3.	Address (residence)	-- ----------------------- -- -----------------------
4.	Address(business)	
5.	Ward name & number	
6.	Contact no.	
7.	Adhar no.	
8.	Name of Nominee	1- 2-
9.	Date of birth	
10.	Education	
11.	What dwelling units own or hire	
12.	Category	☐ General ☐ OBC ☐ SC ☐ ST
13.	Distance from residence to work place	
14.	Type of business	
15.	Have you receive identity card	☐ yes ☐ no

Type of business (item 14):

	Code
☐ food	01
☐ vegetable	02
☐ clothes	03
☐ Decorative materials	04
☐ shoes	05
☐ Housing material	06
☐ others	99

16.	Have other family members is also a vendor.	
17.	Other family member is also a vendor?	□ yes □ No
18.	Have you received any training (if so, give details)	
19.	Category of vendor	□ Permanent □ mobile
20.	Status of work place	□ rent □ public
21.	Seasonal or regular	□ Seasonal □ regular
22.	Vending Time	□ full time □ morning □ evening
23.	Average income	
24.	Any bank account (if yes mention the name of Bank and Branch Name)	
25.	Is there a bank loan on you	
26.	Registered as BPL /APL	

District and ULB code

District code	Name of District	No of ULBS	Name of ULBS	Code of ULBS
1	2	3	4	5
01	Raipur			
		01	Raipur	0101
		02	Birgoan	0102
		03	Tilda-Nevra	0103
		04	Gobranavapara	0104
		05	Arang	0105
		06	Abhanpur	0106
		07	Mana- Camp	0107
		08	Kharora	0108
		09	Kuraa	0109
02	Durg			
		01	Bhilai	0201
		02	Durg	0202
		03	Bhilai-Charoda	0203
		04	Kumhari	0204
		05	Jamul	0205
		06	Ahivara	0206
		07	Patan	0207
		08	Dhamdha	0208
		09	Utai	0209

1	2	3	4	5
03	Bilaspur			
		01	Bilaspur	0301
		02	Tifra	0302
		03	Ratanpur	0303
		04	Takhatpur	0304
		05	Sirgitti	0305
		06	Kota	0306
		07	Gourela	0307
		08	Bodri	0308
		09	Pendra	0309
		10	Sakri	0310
		11	Bilha	0311
		12	Malhar	0312
04	Korba			
		01	Korba	0401
		02	Dipka	0402
		03	Katghora	0403
		04	Chhurikalaa	0404
		05	Pali	0405
05	Rajnandgoan			
		01	Rajnandgoan	0501
		02	Dogargarh	0502
		03	Khairagarh	0503
		04	Dogargoan	0504
		05	Gandai	0505
		06	Ambagarhchouki	0506
		07	Chhuikhadan	0507
		08	Chhuriya	0508
06	Raigarh			
		01	Raigarh	0601
		02	Kharsiya	0602
		03	Sarangarh	0603
		04	Dharamjaygarh	0604
		05	Kirodimalnagar	0605
		06	Gharghoda	0606
		07	Lailunga	0607
		08	Sariya	0608
		09	Baramkela	0609
		10	Pusoor	0610
07	Janjgirchapa			
		01	Chapa	0701
		02	Janjgir-naila	0702
		03	Akaltara	0703
		04	Sakti	0704
		05	Baloda	0705
		06	Kharod	0706

1	2	3	4	5
		07	Shivrinarayan	0707
		08	Nayabaradwar	0708
		09	Navagarh	0709
		10	Jaijepur	0710
		11	Dabhara	0711
		12	Chandrapur	0712
		13	Adbhar	0713
		14	Saragoan	0714
		15	Rahod	0715
08	Koriya			
		01	Chirmiri	0801
		02	Manendragarh	0802
		03	Baikunthpur	0803
		04	Shivpurcharcha	0804
		05	Khougapani	0805
		06	Jhagrakhand	0806
		07	Nai – ledri	0807
09	Balodabazar			
		01	Bhatapara	0901
		02	Balodabazar	0902
		03	Sigma	0903
		04	Kasdol	0904
		05	Bhatgaon	0905
		06	Lawan	0906
		07	Palari	0907
		08	Tundra	0908
		09	Bilaigarh	0909
10	Dhamtari			
		01	Dhamtari	1001
		02	Kurud	1002
		03	nagari	1003
		04	Bhakhara	1004
		05	Aamdi	1005
		06	Magarlod	1006
11	Surguja			
		01	Ambikapur	1101
		02	Sitapur	1102
		03	Lakhanpur	1103
12	Bastar			
		01	Jagdalpur	1201
		02	Bastar	1202
13	Mahasamund			
		01	Mahasamund	1301
		02	Saraypali	1302
		03	Bagbahra	1303
		04	Basna	1304
		05	Pithoura	1305
		06	Tumgoan	1306

1	2	3	4	5
14	Balod			
		01	Dallirajhara	1401
		02	Balod	1402
		03	Gundardehi	1403
		04	Doundi	1404
		05	Chikhlakasa	1405
		06	Doundilohara	1406
		07	Arjunda	1407
		08	Gurur	1408
15	Kabeerdham			
		01	Kawardha	1501
		02	Pandriya	1502
		03	Sahaspur-lohara	1503
		04	Pandatrai	1504
		05	Bodla	1505
		06	Pipriya	1506
16	Kanker			
		01	Kanker	1601
		02	Pankhajur	1602
		03	Charama	1603
		04	bhanupratappur	1604
		05	Antagarh	1605
		06	Naraharpur	1606
17	Jashpurnagar			
		01	Jashpurnagar	1701
		02	Pathalgoan	1702
		03	Kunkuri	1703
		04	Bagicha	1704
		05	Kotba	1705
18	Bemetara			
		01	Bemetara	1801
		02	Navagarh	1802
		03	Khamriya	1803
		04	Maro	1804
		05	Devkar	1805
		06	Saja	1806
		07	Berla	1807
		08	Parpodi	1808
19	Dantewada			
		01	Badi bacheli	1901
		02	Kirandul	1902
		03	Dantewada	1903
		04	Gidam	1904
		05	Barsur	1905
20	Mungeli			
		01	Mungeli	2001
		02	Lormi	2002

1	2	3	4	5
		03	Sargoan	2003
		04	Pathriya	2004
21	Surajpur			
		01	Surajpur	2101
		02	Vishrampur	2102
		03	Bhatgoan	2103
		04	Jarhi	2104
		05	Pratappur	2105
		06	Premnagar	2106
22	Kondagoan			
		01	Kondagoan	2201
		02	Keskal	2202
		03	Vishrampuri	2203
		04	Farasgoan	2204
23	Gariyabandh			
		01	Rajim	2301
		02	Gariyabandh	2302
		03	Fingeshwar	2303
		04	Chhura	2304
24	Balrampur			
		01	Balrampur	2401
		02	Ramanujganj	2402
		03	Kusumi	2403
		04	Vadrafarnagar	2404
		05	Rajpur	2405
25	Bijapur			
		01	Bijapur	2501
		02	Bhairamgarh	2502
		03	Bhopalpatnam	2503
26	Sukma			
		01	Sukma	2601
		02	Dornapal	2602
		03	Konta	2603
27	Narayanpur	01	Narayanpur	2701

Annexure II

VENDING CERTIFICATE FORM

Latest passport size photographs

1.	Name of ULB	
2.	Name of vendor	-- ----------------------------
3.	Father/husband name	-- ----------------------------
4.	Address (residence) (work place)	-- ---------------------------- -- -----------------------------
5.	Nominal no	
6.	business	
7.	Ward name and number	
8.	Contact no	
9.	Date of birth	
10.	education	

Criteria to issue vending certificates to vendors—

1. Vending certificate issued by the Urban Local Body to vendors shall be on the basis of production of an undertaking on stamp paper of Rs. 50 to the Town Vending Committee which must confirm the effect –

   (a) The Vending certificate shall be used by the vendor only for self or family members/ dependents.

   (b) The Vending certificate is non transferable and cannot be sold.

   (c) The Vendor shall confirm that they are not allocated any other public space, store within the limits of Urban Local Bodies.

   (d) The Vendors shall confirm that either of their dependent or family members (wife / son) have not been issued a vending certificate.

   (e) The vendor shall not use vending certificate for the vending of any unethical and illegal business.

   (f) The vendor shall not use the certificate for vending any kind of explosive materials.

(g) The vendor shall not use certificate for vending of any kind of drug / intoxicating substance.

(h) The vendor shall follow the hygiene rules in vending zone.

(i) The vendor shall not use any type of Polythene bags.

(j) The vendor shall follow the orders issued by the State Government from time to time.

Terms and condition to issue vending certificate—

1. Issue of certificate does not imply the land is owned by the vendor. On the basis of terms and conditions the vendors is allowed to practice the business.

2. The vendor or dependent members of his family who are involved in business should not be less than 14 years of age.

3. The vendors shall not engage in any illegal or unethical business and use of intoxicants is completely prohibited during vending time.

4. Vendors are not allowed to practice any business which is banned by the State Government or Urban Local Bodies.

5. Vending certificates cannot be transferred or sold.

6. The vendor must paste the color passport size photograph in the vending certificate. In case their wife or adult child is involved in the same business, the vendor shall paste their color photographs in front of certificate.

7. The competent authority of local urban bodies shall issue certificates to the vendors who are left out during the survey.

8. In the event of loss of vending certificate or the vending certificate being stolen, the local urban bodies may re-issue the certificate by charging the fee prescribed by the competent authority.

9. The Identification of new vendors and new vending zone is ongoing process by the Urban Local Body. The ULB shall continue the identification of vendor and new vending zone.

10. In the event of death of the vendor vending certificate shall be issued to his/her child. In case the son is also a vendor in such case the certificate shall be issued to his/her wife.

11. Priorities shall be given to vendors who are CG Native.

12. Seasonal vendors shall be issued temporary certificate and receipt.

Annexure III

VENDOR ID CARD FORM

Unique Id of Vendor

1.	Name of Vendor	-- --
2.	Father/Husband Name	-- --
3.	Address (Residence)	-- -- -- --
4.	Address (Work Place)	
5.	Ward No and Name	
6.	Contact No	
7.	Aadhar card No/ Voter ID No/Driving License No.	
8.	Nominee	1- 2-
9.	Date of Birth	
10.	Education	
11.	Issued Date	

Important Instructions

1. This card is non transferable and shall be used by the vendor and their family members only.
2. At the time of vending it is mandatory to have vending card.
3. On demand by Urban Local Body officials the vendor will have to show the card.
4. In the event of loss/ damage of card, the information shall be given to the concern Urban Local Body.
5. The ID card shall be valid for opening bank accounts.
6. The ID card shall not be used for any illegal or immoral business.
7. The ID card shall not be used for any type of business involving explosives.

Commissioner/ Chief Municipal Officer

Municipal Corporation / Municipal Council

.... Chhattisgarh

Annexure IV

Social Audit Format for activities of Town Vending Committee

Name of Urban Local Body ……………………………………………………………………………

Vendor Name: …………………………………………………………………… Age……………………

Ward No. and Name: ……………………………………………………………………………

Market Name :……………………………………………………………………………………

Auditing Date:……………………………………………………………………………………

S.N0.	Auditing point	Question	
1.	Audit	Your survey has been done regarding Vending.	□yes □no
2.	Registration and certificate delivery	Do You have granted Identity Card	□yes □no
		Do you have vending certificate.	□yes □no
3.	seating arrangement	Do you have the space allocated as per described in vending certificate	□yes □no
		Is Regular cleaning done in the vending zone.	□yes □no
4.	Infrastructure and Facilities	Availability of luggage bins in the vending zone	□yes □no
		Do you have enough lighting in vending zone	□yes □no
		Clean drinking water system in your vending zone	□yes □no
		The vending zones toilet / urinal arrangements	□yes □no
		Your vending zones toilet / urinal has enough water?	□yes □no
		for the use of Toilet / urinal is payable monthly fee	□yes □no
5.	observation and inspection by Local Body/Town Vending Committee	What your vending zone are inspected by local body?	□yes □no
		Town Vending Committee was assisted from time to time by the vendors?	□yes □no
		If so, how many days?	In the days…….
		During the inspection by the local bodies is obtained from your problems?	□yes □no
		If so, what problems have been resolved?	□yes □no
6.	Training workshop	Do you ever training / workshop was organized?	□yes □no
		If, yes, then you present it?	□yes □no
		This workshop was beneficial?	□yes □no
		In workshop hygiene standards / plastic carry bag ban law was informed You?	□yes □no
		What workshop on opportunities for advancement in the business information?	□yes □no

7.	Financial literacy / Inclusion camp, bank linkage, association of bank loans and other facilities	Your bank account has been opened?	□yes □no
		Do you have information on how to obtain loan from the bank?	□yes □no
		Are You National Health Insurance Scheme card holder?	□ full□ Partial □ agreed
		bank account and finance Conduct training is provided to you?	□yes □no
8.	Vendors set up self-help groups, training, opening a bank account, etc.	Do you have self-help group members?	□yes □no
		What was encouraged engagement with the self-help group?	□yes □no
		You are aware about forming of self-help groups, and benefits of shg?	□yes □no
9.	housing and other credit facilities and government insurance plans be added to Vendors	Are you known about Rajiv loan scheme and other housing schemes?	□yes □no

Name and signature of auditor

Annexure V

Social Audit form of Town Vending Committee's activities by buyer

Name of local urban bodies: ....

Buyer's name: .... Ward No. .... Age.

The name of the market:...

Auditing Date:...

S.No.	Auditing point	question	remark
1.	Market arrangement	If you come to this market? □ always □ sometimes □ very low	
		Are you satisfied with the market? □ totally □ partly □ unsatisfied	
2.	Market Sanitation	Sanitation factors in this market □ totally □ partly □ unsatisfied	
3.	Toilet facility in market	in the market toilet / urinal arrangements for Customers? Yes □ No □	

		Market-based toilet / urinal you have been using? Yes □ No □	
		If so, then the toilet / urinal hygiene is satisfactory? □ totally □ □ partly unsatisfied	
		What toilet / urinal enough water in the system? Yes □ No □	
4.	Traffic in market	The imposition of this market is the traffic movement? Yes □ No □	
5.	Attitude of vendors	Here are Wedding vendors behavior is satisfactory? □ totally □partly □ unsatisfied	

गृह–सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2017 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 09–114/गृह–सी/परीक्षा/2016.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 09 जनवरी, 2017 से 16 जनवरी, 2017 तक रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अंबिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 09-01-2017

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया–उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

सोमवार, दिनांक 09-01-2017

(1)	(2)	(3)
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	सोमवार, दिनांक 09-01-2017	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 10-01-2017	
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-''ए'' आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-''बी''.	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-''सी''.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से).	

मंगलवार, दिनांक 10-01-2017

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों की सहायता से).	
	बुधवार, दिनांक 11-01-2017	
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा."	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से).	
	बुधवार, दिनांक 11-01-2017	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	

बुधवार, दिनांक 11-01-2017

(1)	(2)	(3)
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा एवं भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से).	

गुरुवार, दिनांक 12-01-2017

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	

गुरुवार, दिनांक 12-01-2017

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 13-01-2017	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 13-01-2017	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	शनिवार, दिनांक 14-01-2017 एवं रविवार, 15-01-2017 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 16-01-2017	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावें कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सी) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15-12-2016 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/23/2016.—कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम छापरभानपुरी एवं उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व तट रेलवे विशाखापटनम के प्रस्ताव अनुसार ग्राम केशलुर, मण्डवा एवं ग्राम मावलीभाटा की निजी भूमि अर्जन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी तोकापाल के न्यायालय में प्रक्रियाधीन भू-अर्जन प्रकरणों में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के तहत जारी प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में होने तथा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/14-15, 2/अ-82/14-15, 3/अ-82/14-15 एवं 6/अ-82/14-15 में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन अपरिहार्य कारणों से नहीं किया जा सका है. चूंकि केन्द्र/राज्य शासन की विभिन्न योजना अन्तर्गत सार्वजनिक एवं राष्ट्र हित के लिए निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन किया जाना प्रस्तावित है.

अतएव भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी तोकापाल के न्यायालय में प्रक्रियाधीन उपरोक्त वर्णित भू-अर्जन प्रकरणों में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19(1) के तहत अंतिम अधिसूचना का प्रकाशनार्थ बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 6 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5141/2/अ-82/भू-अर्जन/कले./2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	आसनडीह प.ह.नं. 05	16.78	कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा.	आसनडीह जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट बियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 70/15 अ/82 वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-सोनाखान, प.ह.नं. 33, 34, 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.383 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1378/3	0.260
	1378/2	0.101
	757/1 क/12	0.140
	757/1 ट	0.221
	757/1 फ	0.280
	757/1 ण	0.280
	757/1 स	0.101
योग	7	1.383

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मखुरहा जलाशय के आर.सी.सी. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 70/16 अ/82 वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-भुसड़ीपाली, प.ह.नं. 33, 34, 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.763 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1375/1	0.301
	1391/6	0.189
	1096/1	0.096
	1096/2	0.096
	1244/1	0.081
योग	5	0.763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मखुरहा जलाशय के आर.सी.सी. नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 70/17 अ/82 वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

(ख) तहसील-कसडोल

(ग) नगर/ग्राम-टुण्डरा, प.ह.नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.082 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	261	0.134
	265	0.032
	250/2.3	0.160
	244/2	0.069
	263/2	0.081
	246/2	0.045
	225	0.340
	2408	0.221
योग	8	1.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-जोक वितरक शाखा क्रमांक 04 नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 26/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-चनाडोंगरी, प.ह.नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.874 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	342/2	0.263
	343/2	0.093
	349/3	0.061
	352	0.186
	351	0.190
	344/2, 348	0.081
योग	7	0.874

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 28/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-गिरधौना, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1516/1	0.061
योग	1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केकराड़ जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तिलगा, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.680 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	716/1	0.306
	716/3	0.012
	730/6	0.065
	715	0.004
	729	0.210
	749	0.032
	747	0.065
	756	0.024
	482	0.121
	730/1	0.117
	753/2	0.121
	753/4	0.105
	732/1	0.097
	475	0.032
	480	0.109
	746	0.004
	483/2	0.206
	479/1	0.045
	716/2	0.173
	753/3	0.004
	716/5	0.008
	732/2	0.101
	481	0.369
	478	0.162
	752	0.089
	484	0.036
	479/2	0.085
	753/1	0.061
	716/4	0.032
	753/5	0.028
	733	0.041
	750	0.097
	748	0.109
	755/2	0.028
	483/1	0.582
योग	35	3.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सपनई बैराज योजना के तहत बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भगोरा, प.ह.नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.398 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	70	0.109
	62/2	0.178
	50/1	0.121
	53	0.012
	10	0.194
	39/2	0.113
	7/11	0.080
	7/5 क	0.032
	64/4	0.157
	63	0.024
	62/1 क	0.012
	50/2	0.185
	(1)	(2)
	13/3	0.202
	51	0.153
	8	0.016
	7/6	0.020
	7/3	0.061
	62/1 ग	0.224
	64/2	0.294
	43/1	0.097
	48	0.004
	43/2	0.150
	52	0.317
	9	0.069
	7/7	0.053
	7/1	0.133
	62/1 ख	0.069
	61	0.285
	14	0.490
	56/1	0.012
	13/2	0.041
	7/9	0.217
	7/10	0.040
	64/3	0.234
योग	34	4.398

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सपनई बैराज योजना के तहत बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्रमांक/आब./स्था./2016/4527.—छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा-2012 की मुख्य सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवार श्री हुलेश कुमार डडसेना को आबकारी उप निरीक्षक (सेवा कार्यपालिक) के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 में एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर उनके उपस्थित होने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाकर उन्हें, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला कोरबा में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी.

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची के अनुसार रहेगी.

2. नियुक्त उम्मीदवार को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर संबंधित नियुक्त किये गये जिले में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जायेगा.

3. नियुक्त उम्मीदवारों को उनके उपस्थित होने पर स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी मेडिकल रिपोर्ट उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ संबंधित जिले के अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

4. संबंधित उम्मीदवार की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते की राशि का भुगतान कर सेवाएं समाप्त की जा सकती है.

5. चयनित उम्मीदवार को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

6. संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन पत्र में चरित्र सत्यापन के संबंध में पुलिस विभाग से विपरीत टीका/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जो शासकीय सेवा में बाधक हो तो तत्काल सेवामुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी.

7. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 31-3-2012 के कंडिका 3 (2) अनुसार उनकी नियुक्ति अनन्तिम है अभ्यर्थी के द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो अथवा छानबीन समिति के द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी. तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी. जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा.

8. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 शासित होंगे.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त आबकारी जिला कोरबा के समक्ष मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूलप्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाणपत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी.

10. चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई रशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा.

11. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

12. परिवीक्षा अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगे.

13. परिवीक्षा अधिकारी को परिविक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षायें भी उत्तीर्ण करनी होगी.

14. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

अशोक कुमार अग्रवाल,
आबकारी आयुक्त.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/3928.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2015-16/3001-3002 दिनांक 15-07-2015 द्वारा श्री बुधनाथ साय पैकरा, कृषि विकास अधिकारी, घरघोड़ा को कृषि उपज मंडी समिति घरघोड़ा जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक मण्डी/भार.अधि./2016-17/6424 दिनांक 08-09-2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति घरघोड़ा में भारसाधक अधिकारी के पद पर श्री पालुराम पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, घरघोड़ा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बुधनाथ साय पैकरा, कृषि विकास अधिकारी, सेवा निवृत्त हो जाने से उनके स्थान पर श्री पालुराम पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, घरघोड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति घरघोड़ा जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/4091.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7717-7718, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री मनोज अग्रवाल, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति सक्ती जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक/14407/स्था./2016 दिनांक 09-09-2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति सक्ती में भारसाधक अधिकारी के पद पर श्री अजय किशोर लकड़ा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री मनोज अग्रवाल, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी सक्ती के स्थान पर श्री अजय किशोर लकड़ा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सक्ती जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्रमांक/1618/ELU/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि लवन निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत लवन/प्रदर्शनी स्थल, कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के कार्यालयों में दिनांक 08 अगस्त 2016 से कार्यालयीन समय एवं कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. लवन निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है.

अनुसूची

लवन निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम डोंगरा, कोरदा, अहिल्दा एवं बरदा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बरदा, ढनढनी, मुण्डा एवं चिरपोटा ग्रमों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चिरपोटा, सरवाडीह, बगबुड़ा, बम्हनपुरी एवं हरदी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम हरदी, भालूकोना, सिंधारी, परसापाली, डोंगरीडीह एवं डोंगरा की पूर्वी सीमा तक.

इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, लवन.

कमला सिंह,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2016

क्रमांक/3923/न.ग्रा.नि./वि.यो-बेरला/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बेरला निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है जिसकी प्रति नगर पंचायत बेरला के सभाकक्ष एवं नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग छ.ग. में दिनांक 28-06-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. बेरला निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट है :—

अनुसूची

बेरला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम सिलघट, तारालीम, सोरला की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम सोरला, कुसमी, बांसा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बांसा, बहेरा, बोरिया की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बोरिया, हतपान, करामाल, सिलघट की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 3923/T&CP/DP-Berla/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Berla planning area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from date 28-06-2016 during office hours in the conference hall of the Nagar Panchayat Berla and Town and Country Planning office Durg. The limit of the Berla Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limit of the Berla Planning Area

NORTH	:	Village Silghat, Taralim, Sorla upto North Boundary
EAST	:	Village Sorla, Kusmi, Bansa upto East Boundary.
SOUTH	:	Village Bansa, Bahera, Boriya upto South Boundary.
WEST	:	Village Boriya, Hatpan, Karamal, Silghat upto West Boundary.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing Land use map so prepared in it should be sent in writing to the Joint Director Town and Country Planning Durg Chhattisgarh within a period of Thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Joint Director, Town and Country Planning, Durg.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दंतेवाड़ा जिला द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.)

दंतेवाड़ा, दिनांक 21 जुलाई 2016

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/1370/अ.अव.अ./स.प्रा./भू-अर्जन/2016.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची में उल्लेखित अनुसार ग्रामों के निजी एवं शासकीय भूमि पर मेसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड किरन्दुल द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिये.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम

प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	किरन्दुल/6	निजी भूमि	निजी
			65/2	0.543
			66/1	0.444
			98/2	0.098
			96	0.074
			98/3	0.123
			168/1	0.370
			99/1	0.271
			100	0.172
			104	0.148
			160	0.197
			264	0.123
			171	0.123
			172	0.296
			173	0.617
			योग 14	**3.599**
			शासकीय भूमि	शासकीय भूमि
			63	0.172
			64	0.074
			65/1	0.345
			93	0.123
			107	0.172
			111	0.123
			110	0.222
			112	0.148
			113	0.420
			146	0.098
			योग 10	**1.897**
		मदाड़ी/6	निजी भूमि	निजी भूमि
			2	0.168
			7	0.276
			8/1	0.237
			योग 3	**0.681**

दिलीप कुमार अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th September 2016

No. 706/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted as District Judge from the date he assumes charge of his office and ;

The following member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ramesh Kumar Rathi, Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal.	Raipur	Raipur	Raipur	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 29th September 2016

No. 708/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sanjeev Kumar Tamak, I Additional District & Sessions Judge.	Jagdalpur	Bhanupratap-pur	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge.
2.	Smt. Prisilla Paul Horo, II Additional District & Sessions Judge.	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 30th September 2016

No. 710/Confdl./2016/II-1-4/2016.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/04/2014-US.II, dated 27th September, 2016 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi Hon'ble Shri Justice Sanjay Agrawal, Hon'ble Shri Justice Rajendra Chandra Singh Samant and Hon'ble Shri Justice Anil Kumar Shukla have assumed charge of the office of Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of September 29, 2016.

By order of Hon,ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्रमांक/252/दो-2-9/2008.—श्री अखिल कुमार सामन्तरे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य) दिनांक 31-08-2016 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 5th October 2016

No. 76 (Mis)/I-7-3/2017 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following days are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2017 :—

Summer Vacation :— Monday 22nd May to Friday 16th June, 2017.
Winter Holidays :— Tuesday 19th December to Saturday 30th December, 2017

S. No. (1)	Name of Holiday (2)	No. of Days (3)	Dates as per Gregorian Calendar (4)	Days of the week (5)
1.	Republic Day	1	26-01-2017	Thursday
2.	Mahashivratri	1	24-02-2017	Friday
3.	Holi Holidays	2	13-03-2017 to 14-03-2017	Monday to Tuesday
4.	Ram Navami	1	05-04-2017	Wednesday
5.	Good Friday & Dr. Ambedkar Jayanti Holiday.	1	14-04-2017	Friday
6.	Id-Ul-Fitr	1	26-06-2017	Monday
7.	Raksha Bandhan	1	07-08-2017	Monday
8.	Janamashtami	1	14-08-2017	Monday
9.	Independence Day	1	15-08-2017	Tuesday

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	1	02-09-2017	Saturday
11.	Dashera Holidays	3	28-09-2017 to 30-09-2017	Thursday to Saturday
12.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2017	Monday
13.	Deepawali Holidays	5	16-10-2017 to 20-10-2017	Monday to Friday
14.	Gurunanak Jayanti	1	04-11-2017	Saturday
15.	Milad-Un-Nabi	1	01-12-2017	Friday
16.	Guru Ghasidas Jayanti	1	18-12-2017	Monday
17.	Christmas	1	25-12-2017	Monday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation & Winter Holidays.

2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. The remaining Saturdays which are not declared holidays and which are not included in Summer Vacation and winter holidays are declared non working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.

4. New Year Day, Mahavir Jayanti, Muharram fall on Sunday, therefore, no Holiday is declared separately.

5. The High Court shall remain closed from 22-05-2017 to 16-06-2017 on account of Summer Vacation but the Registry shall remain open during Summer Vacation.

6. The High Court shall remain closed from 19-12-2017 to 30-12-2017 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during Winter Holidays from 19-12-2017 to 23-12-2017 and shall remain closed from 26-12-2017 to 30-12-2017.

7. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-Ul-Fitr, Id-Ul-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

8. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2017.

By order of the High Court,
RAJANI DUBEY, I/c Registrar General.